अध्याय–1

राज्य में वनों की वैधानिक स्थिति व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधान

उत्तराखण्ड का 65 प्रतिशत भू–भाग वन भूमि के रूप में अभिलिखित है व राज्य के पर्वतीय जनपदों में वन भूमि का क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष 50 से 90 प्रतिशत तक है। उत्तराखण्ड वन बाहुल्य राज्य होने व राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 इस पर्वतीय राज्य के विकास के परिप्रेक्ष्य में अति महत्वपूर्ण है। वन बाहुल्य राज्य होने व राज्य के पर्वतीय जनपदों में विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वैकल्पिक गैर वन भूमि की अनुपलब्धता के कारण विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन ही एकमात्र विकल्प है। राज्य में विकास परियोजनाओं के निर्माण को गति प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने व भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो, ताकि वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु समस्त प्रक्रिया एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण कर विकास परियोजनाओं के निर्माण की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित की जा सके।

1.1 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधान :–

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में निहित प्राविधानों व भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी अनिवार्य है। उक्त अधिनियम एक रेगुलेटरी अधिनियम है व वन भूमि पर अधिकांश गैर वानिकी कार्यो को भारत सरकार द्वारा अनुमन्य किया गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एक केन्द्रीय अधिनियम है, जिसके तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु समस्त नियम, दिशा–निर्देश व स्वीकृति प्रदान किये जाने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार में ही निहित है।

1.2 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधान निम्न श्रेणियों की वन भूमि पर लागू होते हैं :–

i) आरक्षित वन भूमि, संरक्षित वन भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 के विभिन्न प्राविधानों के तहत अधिसूचित भूमि।
ii) ऐसी भूमि जो राजकीय अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज हो।
iii) ऐसी भूमि जो शब्दकोष के अनुसार वन भूमि हो अर्थात जिसका स्वरूप वन जैसा हो।

1.3 राज्य में विधिक दृष्टि से वन क्षेत्रों का वर्गीकरण :–

उत्तराखण्ड में प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पर विभिन्न श्रेणियों की वन भूमि का वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

i) आरक्षित वन भूमि– वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में।
ii) सिविल एवं सोयम भूमि– राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में।
iii) वन पंचायत भूमि– राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में। (वन पंचायतों के प्रबन्धन में)

1.4 क्षेत्रफल/वैधानिक स्थिति के आधार पर वन भूमि का वर्गीकरण :–

सारणी–1

क्र0सं0	वन भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल (वर्ग किमी0 में)
1.	आरक्षित वन	24,642.932
2.	सिविल एवं सोयम	4,768.704
3.	वन पंचायत	4,961.851
4.	अन्य संरक्षित वन	154.021
5.	निजी वन (नगरपालिका/कैन्टोमेंट आदि)	123.506
	कुल योग	**34,651.014**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 54,483 वर्ग किमी0 के सापेक्ष राज्य का वन क्षेत्र 34,651 वर्ग किमी0 है, जो प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 65 प्रतिशत है।

1.5 वन भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया :–

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1.5.1 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राजस्व विभाग व वन विभाग के सहयोग से निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक सूचनायें अंकित कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया जाता है।

1.5.2 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव को सम्बन्धित वन संरक्षक को प्रेषित किया जाता है। वन संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अपनी संस्तुति अंकित कर प्रस्ताव को नोडल अधिकारी कार्यालय को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

1.5.3 नोडल अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर प्रस्ताव को भारत सरकार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

1.5.4 40 हे0 तक क्षेत्रफल के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को प्रेषित किये जाते हैं व 40 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रस्ताव सीधे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं।

1.5.5 40 हे0 तक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों को भारत सरकार को भेजे जाने से पूर्व सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया जाता है व 40 हे0 से 100 हे0 क्षेत्रफल के प्रस्तावों के प्रकरणों में सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। 100 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में भारत सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

1.5.6 भारत सरकार द्वारा दो चरणों में स्वीकृति निर्गत की जाती है। प्रथम चरण जिसे सैद्धान्तिक स्वीकृति कहा जाता है, में भारत सरकार द्वारा कतिपय शर्तो के तहत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1.5.7 भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन हेतु नोडल अधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को लिखा जाता है। भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रकरण विशेष के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0, कैट प्लान, रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण आदि धनराशियॉ जमा कराये जाने की अनिवार्य शर्तें लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा एक हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने की शर्त अधिरोपित की जाती है।

1.5.8 प्रयोक्ता एजेन्सी से उक्त आख्या प्राप्त होने के उपरान्त भारत सरकार को प्रकरण विशेष में द्वितीय चरण की स्वीकृति अर्थात विधिवत स्वीकृति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया जाता है।

1.5.9 भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन भूमि के औपचारिक हस्तान्तरण के आदेश निर्गत किये जाते हैं।

1.5.10 राज्य सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक आदेश निर्गत किये जाने के उपरान्त यदि वन भूमि पर पेड़ों का पातन निहित हो, तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पेड़ों का छपान कर पेड़ों के पातन हेतु छपान सूची उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उपलब्ध करायी जाती हैं।

1.5.11 वन विकास निगम द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि पर पेड़ों का पातन किया जाता है व पेड़ों का पातन होने के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा वन भूमि को परियोजना के निर्माण हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी को विधिवत हस्तान्तरित किया जाता है।

1.6 एक हे0 से कम क्षेत्रफल के कतिपय प्रयोजनों हेतु सरलीकृत व्यवस्था :–

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित 1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल के कतिपय जनोपयोगी प्रयोजनों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की औपचारिक स्वीकृति निर्गत करने के लिये राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। ऐसे जनोपयोगी प्रयोजनों हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है व राज्य सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के निर्माण हेतु अपने स्तर से वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त व्यवस्था के तहत भारत सरकार द्वारा निम्न प्रयोजनों हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिये राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है :–

सारणी–2

1. पेयजल	2. स्कूल	3. अस्पताल
4. पारेषण लाईन	5. विद्युत सब स्टेशन	6. लघु सिंचाई
7. भूमिगत ओ0एफ0सी0 केबल	8.जल संग्रहण संरचनायें	9. अपरम्परागत ऊर्जा साधन
10. प्रतिभा विकास व व्यवसायिक प्रशिक्षण की परियोजनायें	11. संचार पोस्ट	12. संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस चौकियॉ, पुलिस स्टेशन, सीमा चौकियॉ आदि

अध्याय–2

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु चैक लिस्ट

2.1 वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग व राजस्व विभाग के सहयोग से वन भूमि हस्तानतरण प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रायः यह देखा गया है कि सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ वॉछित सूचनायें संलग्न नहीं की जाती हैं व अधूरा प्रस्ताव नोडल अधिकारी कार्यालय को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जाता है। अधूरा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के कारण भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब होता है, अतः विकास परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि प्रयोक्ता एजेन्सीज के द्वारा पूर्ण/त्रुटिरहित प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा।

2.2 उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली समस्त सूचनाओं/प्रपत्रों की एक समेकित चैक लिस्ट, जिसमें वन भूमि पर प्रस्तावित समस्त प्रयोजनों हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं/प्रपत्रों का विवरण अंकित है, सारणी–3 में दी जा रही है। विभिन्न प्रयोजनों हेतु अलग–अलग सूचनायें प्रस्ताव में अंकित की जाती हैं व प्रयोजन विशेष के आधार पर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं की भी अलग–अलग विषय सूचियाँ तैयार की गई हैं।

समेकित चैक लिस्ट

सारणी–3

क्र0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	प्रतिवेदन	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक	प्रस्तावक/डी0 एफ0ओ0/अन्य	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0/अन्य
3.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	प्रस्तावक	–
4.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
5.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर	5	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (**SIR**)			
6.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
7.	डिजिटल मैप व सी0डी0।	7	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
8.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण।	8 व 9	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
9.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	10	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी/ डी0एफ0ओ0
10.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
11.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक
12.	बार चार्ट।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
13.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	14	समिति	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
14.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण एवं मूल्याँकन/सारांश /वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6 तक	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
15.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण–पत्र।	16	वन संरक्षक	वन संरक्षक
16.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	17	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
17.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	17.1	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
18.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र।	18	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
19.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र।	19	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
20.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	20	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
21.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	21	प्रस्तावक	प्रस्तावक
22.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	22 से 22.2 तक	प्रस्तावक	प्रस्तावक
23.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	23 से 23.3 तक	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक	जिलाधिकारी/ उप खण्डीय समिति
24.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण।	24	प्रस्तावक	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0

25.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले–आउट प्लान	25	प्रस्तावक	प्रस्तावक
26.	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	26	भू–वैज्ञानिक	भू–वैज्ञानिक
27.	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	27	प्रस्तावक	प्रस्तावक
28.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
29.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	30	जिलाधिकारी/प्रस्तावक	जिलाधिकारी/प्रस्तावक
31.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक
32.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
33.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	33	प्रस्तावक	प्रस्तावक
34.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र।	34	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
35.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	35	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
36.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	36	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
37.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन।	37	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
38.	सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	38	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
39.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
40.	पारेषण लाइन के कोरिडोर नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन।	40	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
41.	मक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	41	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0
42.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	42	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
43.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	43	प्रस्तावक	प्रस्तावक
44.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	44	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
45.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	45	डी0एफ0ओ0/प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0/प्रस्तावक

46.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का विवरण। (यदि लागू हो)	**46**	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक
47.	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	**47**	डी0एफ0ओ0 / उच्चस्तरीय समिति	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक
48.	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।	**48**	प्रस्तावक	–
49.	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	**49**	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
50.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	**50**	प्रस्तावक	–

नोट :–उक्त समेकित चैक लिस्ट में समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण उल्लिखित है। प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा प्रत्येक प्रयोजन हेतु इंगित प्रपत्रों को ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

वन भूमि पर प्रस्तावित सड़कों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विवरण।

सारणी–4

क्र0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
	विषय सूची मय प्रमाण–पत्र		प्रस्तावक	प्रस्तावक
1.	प्रतिवेदन।	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक	प्रस्तावक/ डी0 एफ0ओ0/ अन्य	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ अन्य
3.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	प्रस्तावक	–
4.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
5.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (**SIR**)।	5	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
6.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
7.	डिजिटल मैप व सी0डी0।	7	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
8.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण।	8 व 9	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
9.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	10	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी डी0एफ0ओ0
10.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0 जिलाधिकारी
11.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक
12.	बार चार्ट।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
13.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	14	समिति	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
14.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण एवं मूल्याँकन/सारांश /वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6 तक	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

15.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण–पत्र।	16	वन संरक्षक	वन संरक्षक
16.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	17	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
17.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	17.1	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
18.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र।	18	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
19.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र।	19	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
20.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	20	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
21.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	21	प्रस्तावक	प्रस्तावक
22.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। (5.00 हे0 क्षेत्रफल से अधिक के प्रकरणों में लागू)	22 से 22.2 तक	प्रस्तावक	प्रस्तावक
23.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	23 से 23.3 तक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति
24.	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	26	भू–वैज्ञानिक	भू–वैज्ञानिक
25.	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	27	प्रस्तावक	प्रस्तावक
26.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
27.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
28.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक / पौराणिक / एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक
29.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल / कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों / जनसंख्या / परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	33	प्रस्तावक	प्रस्तावक
32.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	35	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
33.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	36	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
34.	सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	38	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
35.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

36.	मक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों के प्राक्कलन।	41	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
37.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	42	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
38.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	43	प्रस्तावक	प्रस्तावक
39.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का विवरण। (यदि लागू हो)	46	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक
40.	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में।	48	प्रस्तावक	–

सीमा सड़क संगठन द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विवरण।

सारणी–5

क्र0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
	विषय सूची मय प्रमाण–पत्र		प्रस्तावक	प्रस्तावक
1.	प्रतिवेदन।	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक	प्रस्तावक/ डी0 एफ0ओ0/ अन्य	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ अन्य
3.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
4.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (**SIR**)।	5	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
5.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
6.	डिजिटल मैप व सी0डी0।	7	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
7.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण।	8 व 9	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
8.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0 जिलाधिकारी
9.	बार चार्ट।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
10.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण एवं मूल्याँकन/सारांश /वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6 तक	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
11.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण–पत्र।	16	वन संरक्षक	वन संरक्षक
12.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र।	18	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
13.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र।	19	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
14.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	23 से 23.3 तक	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक	जिलाधिकारी/ उप खण्डीय

				समिति
15.	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	**26**	भू–वैज्ञानिक	भू–वैज्ञानिक
16.	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	**27**	प्रस्तावक	प्रस्तावक
17.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	**31**	प्रस्तावक	प्रस्तावक
18.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	**32**	प्रस्तावक	प्रस्तावक
19.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	**35**	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
20.	सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	**38**	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
21.	मक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों के प्राक्कलन।	**41**	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
22.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	**42**	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
23.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	**43**	प्रस्तावक	प्रस्तावक
24.	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में।	**48**	प्रस्तावक	–

वन भूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाईन/रोपवे निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विवरण

सारणी–6

क्र0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण– पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	प्रतिवेदन	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/अन्य	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ अन्य
3.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	प्रस्तावक	–
4.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
5.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (**SIR**)	5	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
6.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
7.	डिजिटल मैप व सी0डी0।	7	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
8.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण।	8 व 9	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
9.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	10	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी/ डी0एफ0ओ0
10.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
11.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक
12.	बार चार्ट।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
13.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	14	समिति	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
14.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण एवं मूल्याँकन/सारांश /वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6 तक	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
15.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण–पत्र।	16	वन संरक्षक	वन संरक्षक

16.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	17	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
17.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	17.1	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
18.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र।	18	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
19.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र।	19	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
20.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	20	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
21.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	21	प्रस्तावक	प्रस्तावक
22.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	22 से 22.2 तक	प्रस्तावक	प्रस्तावक
23.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	23 से 23.3 तक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति
24.	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	26	भू–वैज्ञानिक	भू–वैज्ञानिक
25.	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	27	प्रस्तावक	प्रस्तावक
26.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
27.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
28.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक / पौराणिक / एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक
29.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल / कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों / जनसंख्या / परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	33	प्रस्तावक	प्रस्तावक
32.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य / लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र।	34	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
33.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	35	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
34.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	36	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
35.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
36.	पारेषण लाइन के कोरिडोर नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन।	40	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

37.	मक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	**41**	प्रस्तावक/डी0 एफ0ओ0	प्रस्तावक/डी0 एफ0ओ0
38.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	**42**	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
39.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	**43**	प्रस्तावक	प्रस्तावक
40.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	**45**	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
41.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का विवरण। (यदि लागू हो)	**46**	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
42.	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।	**48**	प्रस्तावक	–

वन भूमि पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विवरण

सारणी–7

क्र0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	प्रतिवेदन	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक	प्रस्तावक/ डी0 एफ0ओ0/ अन्य	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ अन्य
3.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	प्रस्तावक	–
4.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
5.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (**SIR**)	5	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
6.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
7.	डिजिटल मैप व सी0डी0।	7	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
8.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण।	8 व 9	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
9.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	10	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी/ डी0एफ0ओ0
10.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
11.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	14	समिति	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
12.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण एवं मूल्याँकन/सारांश /वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6 तक	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
13.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण–पत्र।	16	वन संरक्षक	वन संरक्षक
14.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	17	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0

15.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	17.1	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
16.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र।	18	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
17.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र।	19	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
18.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	20	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
19.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	21	प्रस्तावक	प्रस्तावक
20.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	22 से 22.2 तक	प्रस्तावक	प्रस्तावक
21.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	23 से 23.3 तक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति
22.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण।	24	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
23.	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	26	भू–वैज्ञानिक	भू–वैज्ञानिक
24.	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	27	प्रस्तावक	प्रस्तावक
25.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
26.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
27.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक / पौराणिक / एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक
28.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक
29.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल / कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों / जनसंख्या / परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	33	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य / लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र।	34	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
32.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	35	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
33.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	36	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
34.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन।	37	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
35.	मक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	41	प्रस्तावक / डी0 एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0 एफ0ओ0
36.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	42	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

37.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	**43**	प्रस्तावक	प्रस्तावक
38.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	**44**	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
39.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	**45**	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक
40.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का विवरण। (यदि लागू हो)	**46**	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक
41.	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	**47**	डी0एफ0ओ0 / उच्चस्तरीय समिति	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक
42.	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।	**48**	प्रस्तावक	–

वन भूमि पर प्रस्तावित 1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल की पेयजल/सिंचाई परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विवरण

सारणी–8

क्र0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	प्रतिवेदन	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक	प्रस्तावक/ डी0 एफ0ओ0/ अन्य	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ अन्य
3.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	प्रस्तावक	–
4.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
5.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (**SIR**)	5	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
6.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
7.	डिजिटल मैप व सी0डी0।	7	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
8.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण।	8 व 9	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
9.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	10	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी/ डी0एफ0ओ0
10.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
11.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक
12.	बार चार्ट।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
13.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	14	समिति	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
14.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण एवं मूल्याँकन/सारांश /वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6 तक	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

15.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण–पत्र।	16	वन संरक्षक	वन संरक्षक
16.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	17	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
17.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	17.1	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
18.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र।	18	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
19.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र।	19	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
20.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	20	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
21.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	21	प्रस्तावक	प्रस्तावक
22.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	22 से 22.2 तक	प्रस्तावक	प्रस्तावक
23.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	23 से 23.3 तक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति
24.	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	26	भू–वैज्ञानिक	भू–वैज्ञानिक
25.	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	27	प्रस्तावक	प्रस्तावक
26.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
27.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
28.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक / पौराणिक / एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक
29.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल / कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों / जनसंख्या / परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	33	प्रस्तावक	प्रस्तावक
32.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य / लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र।	34	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
33.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	35	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
34.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	36	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
35.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन।	37	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

36.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
37.	मक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	41	प्रस्तावक/डी0 एफ0ओ0	प्रस्तावक/डी0 एफ0ओ0
38.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	42	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
39.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	43	प्रस्तावक	प्रस्तावक
40.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	45	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
41.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का विवरण। (यदि लागू हो)	46	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
42.	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।	48	प्रस्तावक	–

वन भूमि पर प्रस्तावित परियोजनायें जिनमें भवनों का निर्माण निहित हो, के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विवरण।

सारणी–9

क्र0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	प्रतिवेदन	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक	प्रस्तावक/ डी0 एफ0ओ0/ अन्य	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ अन्य
3.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	प्रस्तावक	–
4.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
5.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (**SIR**)	5	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
6.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
7.	डिजिटल मैप व सी0डी0।	7	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
8.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण।	8 व 9	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
9.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	10	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी/ डी0एफ0ओ0
10.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
11.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक
12.	बार चार्ट।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
13.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	14	समिति	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
14.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण एवं मूल्याँकन/सारांश /वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6 तक	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

15.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण–पत्र।	16	वन संरक्षक	वन संरक्षक
16.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	17	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
17.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	17.1	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
18.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र।	18	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
19.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र।	19	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
20.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	20	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
21.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	21	प्रस्तावक	प्रस्तावक
22.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	22 से 22.2 तक	प्रस्तावक	प्रस्तावक
23.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	23 से 23.3 तक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति
24.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले–आउट प्लान।	25	प्रस्तावक	प्रस्तावक
25.	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	26	भू–वैज्ञानिक	भू–वैज्ञानिक
26.	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	27	प्रस्तावक	प्रस्तावक
27.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
28.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
29.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक / पौराणिक / एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक
30.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल / कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
32.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों / जनसंख्या / परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	33	प्रस्तावक	प्रस्तावक
33.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य / लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र।	34	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
34.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	35	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
35.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	36	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
36.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन।	37	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

37.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
38.	मक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	41	प्रस्तावक/डी0 एफ0ओ0	प्रस्तावक/डी0 एफ0ओ0
39.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	42	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
40.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	43	प्रस्तावक	प्रस्तावक
41.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	44	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
42.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	45	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
43.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का विवरण। (यदि लागू हो)	46	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
44.	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।	48	प्रस्तावक	–

वन भूमि पर बहने वाली नदियों से उप–खनिजो के चुगान हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावो के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विवरण।

सारणी–10

क्र0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	प्रतिवेदन	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक	प्रस्तावक/ डी0 एफ0ओ0/ अन्य	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ अन्य
3.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	प्रस्तावक	–
4.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
5.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (**SIR**)	5	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
6.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
7.	डिजिटल मैप व सी0डी0।	7	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
8.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण।	8 व 9	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
9.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	10	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी/ डी0एफ0ओ0
10.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
11.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक
12.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	14	समिति	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
13.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण एवं मूल्याँकन/सारांश /वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6 तक	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
14.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण–पत्र।	16	वन संरक्षक	वन संरक्षक

15.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	17	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
16.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र।	18	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
17.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र।	19	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
18.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	20	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
19.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	21	प्रस्तावक	प्रस्तावक
20.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	22 से 22.2 तक	प्रस्तावक	प्रस्तावक
21.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	23 से 23.3 तक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति
22.	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	26	भू–वैज्ञानिक	भू–वैज्ञानिक
23.	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	27	प्रस्तावक	प्रस्तावक
24.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
25.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
26.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक / पौराणिक / एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक
27.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक
28.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल / कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
29.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों / जनसंख्या / परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	33	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	35	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
31.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	36	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
32.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन।	37	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
33.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	42	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
34.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	43	प्रस्तावक	प्रस्तावक
35.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	44	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

36.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	**45**	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
37.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का विवरण। (यदि लागू हो)	**46**	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
38.	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।	**48**	प्रस्तावक	–
39.	भारत सरकार की पर्यावरणीय स्वीकृति।	**51**	प्रस्तावक	–
40.	केन्द्रीय मृदा एवं जल संस्थान द्वारा प्रदत्त अध्ययन रिपोर्ट।	–	केन्द्रीय मृदा विभाग	–

नोट :– नदियों/नालों से उप–खनिजों के चुगान के पूर्व भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

वन भूमि पर प्रस्तावित 1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल के कतिपय प्रयोजनों, जिन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रदान करने के लिये राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विवरण। (मुख्य प्रयोजनः–पेयजल, स्कूल, अस्पताल, विद्युत सब स्टेशन, पारेषण लाईन, भूमिगत ओ0एफ0सी0 केबल, सामुदायिक भवन आदि)

सारणी–11

क्र0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	प्रतिवेदन	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक	प्रस्तावक/ डी0 एफ0ओ0/ अन्य	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ अन्य
3.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	प्रस्तावक	–
4.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
5.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (**SIR**)	5	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
6.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
7.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	10	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी	प्रस्तावक/ जिलाधिकारी/ डी0एफ0ओ0
8.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
9.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक
10.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण एवं मूल्याँकन/सारांश /वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6 तक	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
11.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र।	18	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
12.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र।	19	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
13.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	33	प्रस्तावक	प्रस्तावक

14.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो)	34	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
15.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन।	37	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
16.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
17.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	42	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
18.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	43	प्रस्तावक	प्रस्तावक
19.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन। (यदि लागू हो)	44	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
20.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	45	डी0एफ0ओ0/प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0/प्रस्तावक

कालातीत लीजों के नवीनीकरण के प्रकरणो में संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण।

सारणी–12

क्र0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	प्रतिवेदन	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
2.	भारत सरकार द्वारा लीज नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक	प्रस्तावक/ डी0 एफ0ओ0/ अन्य	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ अन्य
3.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
4.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (**SIR**)	5	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
5.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
6.	डिजिटल मैप व सी0डी0।	7	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0
7.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
8.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक
9.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र।	18	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
10.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र।	19	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
11.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	20	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
12.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	23 से 23.3 तक	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक	जिलाधिकारी/ उप खण्डीय समिति
13.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण।	24	प्रस्तावक	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0
14.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले–आउट प्लान ।	25	प्रस्तावक	प्रस्तावक
15.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
16.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	30	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक

17.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक
18.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र।	34	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
19.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	35	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
20.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	36	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
21.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन।	37	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
22.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
23.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	42	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
24.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	43	प्रस्तावक	प्रस्तावक
25.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	44	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
26.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	45	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
27.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का विवरण। (यदि लागू हो)	46	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
28.	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।	48	प्रस्तावक	–
29.	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	49	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0

अध्याय–3

प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों के प्रारूप

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले प्रपत्रों/सूचनाओं की समेकित चैक लिस्ट व विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विस्तृत विवरण अध्याय–2 में उल्लिखित है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ लगाये जाने वाले प्रपत्रों के प्रारूप में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रपत्र के प्रारूप का मानकीकरण (**Standardization**) किया गया है।

प्रपत्र–1

परियोजना का नामः–

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

ह0/–

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

नोट :–यह प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरा जाना है।

प्रपत्र–2

परिशिष्ठ

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

ग) परियोजना की लागत।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

.

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नही)

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का व्यौरा।

दिनांक.....

स्थान.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम

मोहर

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

प्रपत्र–2.1

भाग– ।।
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र
ii) जिला
iii) वन प्रभाग
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
v) वन की कानूनी स्थिति
vi) हरियाली का घनत्व
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए
viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजंर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेंत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या

8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12– प्रभाग/जिला प्रोफाइल
जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

i. जिला का वन क्षेत्र।

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक..... **हस्ताक्षर**

स्थान..... **नाम**

सरकारी मोहर

प्रपत्र–2.2

भाग– ।।।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षरः

तिथि..... **नाम और पदनाम**

स्थान..... **सरकारी मोहर**

प्रपत्र–2.3

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

प्रपत्र–2.4

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17– राज्य सरकार की सिफारिशः (उपर्युक्त भाग–।। या भाग–।।। या भाग–**IV** में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

प्रपत्र–3

परियोजना का नामः–

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट :–उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रपत्र–4

परियोजना का नाम :–

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक ————————————को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री ....., राजस्व विभाग की ओर से श्री....., प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ..... द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि, ...हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि, ...हे0, वन पंचायत भूमि ....हे0 एवं नाप भूमि .....हे0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से .....गॉव व .....जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में .....वृक्षों व नाप भूमि पर .....वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....
.....
.....
.....

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह0/–
(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)

ह0/–
(वन विभाग का प्रतिनिधि)

ह0/–
(जिलाधिकारी)

ह0/–
(प्रभागीय वनाधिकारी)

ह0/–
(सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)

ह0/–
(ग्राम प्रधान/वन पंचायत सरपंच)

नोट :–उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं के हस्ताक्षर के उपरान्त प्रस्ताव के साथ लगाई जानी है।

प्रपत्र–5

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from…….....for diversion under FCA-1980) of.....…ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of x……The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated…….

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring……ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place:-…… **Name……**
Date…….. **Designation…….**
Office Seal ……..

N.B. **x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.**
xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

प्रपत्र–6

परियोजना का नामः–

<u>प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र</u>

ह0/–	ह0/–	ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी	प्रभागीय वनाधिकारी	जिलाधिकारी

नोट :–यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ 1:50,000 पैमाने की टोपोशीट पर अंकित की जानी है।

प्रपत्र–7

परियोजना का नाम–

डिजिटल मानचित्र मय दो सी0डी0

ह0/–	ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी	प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :– उक्त मानचित्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–8

परियोजना का नामः–

वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट :–यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रपत्र–9

परियोजना का नाम–

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण –पत्र

संरेखण नं0	प्रभावित वन भूमि (हे0 में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	मार्ग की लम्बाई	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू–गर्भीय कारण)
संरेखण–1				
संरेखण–2				
संरेखण–3				

उक्त तीनों संरेखणों में से संरेखण––– उपयुक्त है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट :–यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रपत्र–10

परियोजना का नामः–

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित ..... हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

ह0/–	ह0/	ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी	प्रभागीय वनाधिकारी	जिलाधिकारी

नोट :–यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी व जिलाधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रपत्र–11

परियोजना का नाम :–

लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे0)

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–यह सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है।

प्रपत्र–11.1

परियोजना का नाम :–

लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र।

भूमि की श्रेणी :–

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं0	कुल रकवा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे0)

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
जिलाधिकारी

नोट :–उक्त सूचना राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है, जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग–अलग प्रपत्र भरा जाना है।

प्रपत्र–12

परियोजना का नामः–

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	
1	आरक्षित वन भूमि				
2	सिविल सोयम भूमि				
3	वन पंचायत भूमि				
	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)				
	वन भूमि का योग				
4	नाप भूमि				
	कुल योग–				

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट :–उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रपत्र–13

परियोजना का नामः–

वारचार्ट का प्रारूप

कि0मी0 कि0मी0

संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (हे0 में)
आरक्षित वन भूमि	हरा	
सिविल एवं सोयम वन भूमि	पीला	
वन पंचायत भूमि	नीला	
नाप भूमि	अन्य रंग	

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट :–यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रपत्र–14

परियोजना का नामः–

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–15

परियोजना का नाम :–

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक .....को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

आरक्षित वन भूमि पर प्रभावित पेड़

क्र सं	वन ब्लाक/ कम्पाटमेन्ट	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/–
राजि अधिकारी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रपत्र–15.1

परियोजना का नाम :–

सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	

ह0/ ह0/– ह0/–

तहसीलदार/उप जिलाधिकारी (राजि अधिकारी) (प्रभागीय वनाधिकारी)

नोट :–उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रपत्र–15.2

परियोजना का नामः–

वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/ ह0/– ह0/– ह0/–

तहसीलदार (राजि अधिकारी) (प्रभागीय वनाधिकारी) (सरपंच)

नोट :–उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रपत्र–15.3

परियोजना का नाम :–

नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/–
तहसीलदार

ह0/–
राजि अधिकारी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रपत्र–15.4

परियोजना का नाम –

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र0 सं0	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग									योग
		10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि										
2	सिविल सोयम										
3	वन पंचायत										
	योग										
4	नाप भूमि										
	कुल योग										

ह0/–
राजि अधिकारी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :– उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रपत्र–15.5

परियोजना का नाम –

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल .....वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल ..... वृक्षों का पातन किया जाना है।

ह0/–	ह0/–	ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी	राजि अधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

प्रपत्र–15.6

परियोजना का नाम–

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने वाले पेड़ों का कुल मूल्य रूपये..... आंकलित किया जाता है।

ह0/–
राजि अधिकारी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रपत्र–16

परियोजना का नाम :–

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये मेरे द्वारा दिनांक ..... को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज के वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

क्र0 सं0	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
		10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	
1	बांज										

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/–

वन संरक्षक,

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निर्गत किया जायेगा।

प्रपत्र–17

परियोजना का नाम :–

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :– उक्त प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–17.1

परियोजना का नामः–

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नही हो रहे हैं।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–18

परियोजना का नामः–

<u>परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–19

परियोजना का नाम :–

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी ..... किमी0 है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–20

परियोजना का नाम–

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

ह0/–
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

नोट :– उक्त प्रमाण–पत्र आवेदित वन क्षेत्र का किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का भाग होने, किसी वन्य जीव क्षेत्रों की परिधि के 10 किमी0 के अन्तर्गत होने अथवा अन्य वन्य जीव क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा निर्गत किया जायेगा।

प्रपत्र–21

परियोजना का नामः–

<u>आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गॉवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ संलग्न किया जाय।

ह0/–

ग्राम प्रधान/सरपंच

की मोहर

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–22

Cost Benefit Ratio Chart

Name of Project –

Block:- **District:-**

SL. No.	Particulars	Amount in lakhs	Remark
1	**Total cost (Investment incurred)**		
(A)	**Construction Cost of the Project**		
(B)	**N.P.V. Amount to be deposited @ --- lakh /Ha**		
(D)	**Substitule/Alternative Planlation Cost to be Deposited:-**		
	Total		
2	**Benefits:-** **Benefits from taking age of road as 50 Years**		
(A)	**Economic Benefits-Market Development Taking**		
(B)	**Direct Employment of Labours-**		
(C)	**Employment Generation Due to other activities**		
(E)	**Therefore construction of Economically Viable and social beneficial.**		

ह0/–
प्रयोक्जा एजेन्सी

प्रपत्र–22.1

Annexure-VI (B)

Name of Project:-

Parameter for Evaluation of loss of Forests :-

Nature of Proposal :-

Sl.no.	Parameters	Roads, Tr. lines & Raliway line
1	2	3
1	**Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived there livelihood and wage from the harvest of these commodities**	
2	**Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder**	
3	**Cost of human resettlement**	
4	**Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.**	
5	**Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)**	
6	**Suffering to oustees**	Nil

ह0/–
प्रयोक्जा एजेन्सी

प्रपत्र–22.2

Annexure-VI (C)

Name of Projct:-

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests
Nature of Proposal :-

Sl.no.	Parameters	Roads Tr. lines & Raliway line
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	
2	Benefits to economy	
3	No. of population benefited.	
4	Employment potential.	
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	
6	Loss of (a) agricuitural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	

ह0/–
प्रयोक्जा एजेन्सी

नोट :–लागत लाभ विशलेषण सम्बन्धी सूचना उक्त प्रपत्रों में तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :–

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ————
तहसील————, जिला————

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद ————————के अन्तर्गत ————————————परियोजना के निर्माण हेतु (——— हे0 आरक्षित वन भूमि, ——— हे0 सिविल सोयम भूमि..... हे0, वन पंचायत भूमि ——— हे0) अर्थात कुल .....हे0 वन भूमि का ————————————विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ———————— द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ———————————— के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ————————————प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक .....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत .....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :–

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ————
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, —————

उपखण्ड ——— परिक्षेत्र के अन्तर्गत ———————————————— (———हे0 आरक्षित वन भूमि, —— हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ....हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ———— हे0 वन भूमि) का ——————————प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील —————) की दिनांक —————— को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ——————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ———————उपजिलाधिकारी ——————————————अध्यक्ष
2– श्री ———————उप प्रभागीय वनाधिकारी———————————सदस्य
3– श्री ———————सहायक समाज कल्याण अधिकारी—————सदस्य/सचिव
4– श्री ———————बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————————————सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ———परियोजना हेतु.............हे0 वन भूमि ———————————————————————————————————— ————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ——————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ———————— परिक्षेत्र के अन्तर्गत ————————————————————————परियोजना के निर्माण हेतु .... हे0 वन भूमि ....प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—...
जनपद ....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—....................................
जनपद.....................................

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :–

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–.....के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित.....परियोजना के निर्माण हेतु .....हे0 वन भूमि .....प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ..... तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–
जिलाधिकारी

नोट :– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण–पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :–

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद..... के अन्तर्गत प्रस्तावित ..... परियोजना के निर्माण हेतु .....हे0 वन भूमि ..... (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (**linear**) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह **(Primitive Tribal Groups)** व आदिकालीन कृषि समुदाय **(Pre Agriculural Tribal Groups)** प्रभावित नही हो रहे हैं।

ह0/–
जिलाधिकारी

प्रपत्र–24

परियोजना का नाम :–

प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार/भूमिवार/क्षेत्रफवार का विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं के लिय लागू)

क्र0सं0	घटक/ कम्पोनेंट (Component)	आरक्षित वन भूमि (हे0 में)	सिविल एवं सोयम वन भूमि (हे0 में)	वन पंचायत भूमि (हे0 में)	कुल वन भूमि (हे0 में)	नाप भूमि (हे0 में)	अभ्युक्ति
योगः–							

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–उक्त सूचना सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

प्रपत्र–25

परियोजना का नामः–

भवन निर्माण हेतु ले–आउट प्लान/मदवार विवरण

ह0/

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

नोट :–उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

प्रपत्र–26

परियोजना का नामः–

भू–वैज्ञानिक की आख्या

ह0/
भू–वैज्ञानिक

नोट :–प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भू–वैज्ञानिक की आख्या प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

प्रपत्र–27

परियोजना का नामः–

<u>भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

नोट :–प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा उक्त प्रमाण–पत्र भू–वैज्ञानिक की आख्या के आधार पर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

परियोजना का नामः–

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–29

परियोजना का नामः–

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्गत किया जायेगा।

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः–

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
जिलाधिकारी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–31

परियोजना का नामः–

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुॅचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुॅचाया जायेगा।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट :– उक्त प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्गत किया जायेगा।

प्रपत्र–32

परियोजना का नामः–

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट– उक्त प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्गत किया जायेगा।

प्रपत्र–33

परियोजना का नामः–

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र0सं0	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
योगः–			

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोटः– उक्त प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–34

परियोजना का नामः–

वन भूमि के मूल्य /वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत प्रयोजन हेतु वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये.....प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु.....हे0 वन भूमि का कुल मूल्य रूपये.....होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट .....प्रतिशत की दर से रूपये.....होता है।

ह0/–
जिलाधिकारी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–35

परियोजना का नामः–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम :–.....क्षेत्रफल ..... हे0

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या .....

क्र. सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रू0 में)	योग
1	2	3	4	5
1.	सर्वे एवं सीमांकन			
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)			
3.	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग)			
4.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान			
5.	गड्डा खुदान (**0.30 x 0.30 x 0.45**)			
6.	निरीक्षण बटिया बनाना			
7.	पौधौं का मूल्य			
8.	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय			
9.	अन्य कार्य			
	योगः–प्रथम चरण			

द्वितीय चरण

1.	गड्डा भरान (**0.30 x 0.30 x 0.45**)			
2.	पौधों का मूल्य			
3.	पौध ढुलान कार्य			
4.	पौधरोपण व थालाबन्दी			
5.	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार)			
6.	खाद व दवा पर व्यय			
7.	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय			
8.	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0			
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना			
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
9.	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य			
10.	अन्य कार्य			
	योग द्वितीय चरण			

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख–रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हें0 2.2 सुरक्षा दीवाल के वाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			
3.	अन्य कार्य			
	योग :–			

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख–रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	अन्य कार्य			
	योग :–			

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख–रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत :–

ह0/

प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :– भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–168/2009 –एफ0सी0 दिनांक 14–02–2012 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 07 से 10 वर्ष तक रख–रखाव करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर निर्धारित कर प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। उक्त दर में वृक्षारोपण का तीन वर्ष तक रख–रखाव का प्राविधान होता है। प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा उक्त दर में वृक्षारोपण के 07 से 10 वर्ष तक रख–रखाव हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।

प्रपत्र–36

परियोजना का नामः–

<u>क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ....स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

प्रपत्र–37

परियोजना का नाम :–

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन

वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम :–.....क्षेत्रफल ..... हे0
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या .....

क्र. सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रू0 में)	योग
1	2	3	4	5
1.	सर्वे एवं सीमांकन			
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)			
3.	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग)			
4.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान			
5.	गड्डा खुदान (**0.30 x 0.30 x 0.45**)			
6.	निरीक्षण बटिया बनाना			
7.	पौधौं का मूल्य			
8.	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय			
9.	अन्य कार्य			
	योगः–प्रथम चरण			

द्वितीय चरण

1.	गड्डा भरान (**0.30 x 0.30 x 0.45**)			
2.	पौधों का मूल्य			
3.	पौध ढुलान कार्य			
4.	पौधरोपण व थालाबन्दी			
5.	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार)			
6.	खाद व दवा पर व्यय			
7.	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय			
8.	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0			
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना			
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
9.	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन			

	सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य			
10.	अन्य कार्य			
	योग द्वितीय चरण			

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख–रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हें0 2.2 सुरक्षा दीवाल के वाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			
3.	अन्य कार्य			
	योग :–			

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख–रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	अन्य कार्य			
	योग :–			

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख–रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत :–

ह0/

प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

प्रपत्र–38

परियोजना का नामः–

पथ वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

मोटर मार्ग का नाम :–.....क्षेत्रफल ..... हे0
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या .....

क्र. सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रू0 में)	योग
1	2	3	4	5
1.	सर्वे एवं सीमांकन			
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)			
3.	फन्सिंग/ट्री–गार्ड			
4.	गड्डा खुदान (0.30 x 0.30 x 0.45)			
5.	पौधौं का मूल्य			
6.	अन्य कार्य			
	योगः–प्रथम चरण			

द्वितीय चरण

1.	गड्डा भरान (0.30 x 0.30 x 0.45)			
2.	पौधों का मूल्य			
3.	पौध ढुलान कार्य			
4.	पौधरोपण व थालाबन्दी			
5.	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार)			
6.	खाद व दवा पर व्यय			
7.	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय			
8.	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन			
9.	अन्य कार्य			
	योग द्वितीय चरण			

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख–रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हें0			

	2.2 सुरक्षा दीवाल के वाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			
3.	अन्य कार्य			
	योग :–			

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख–रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	अन्य कार्य			
	योग :–			

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख–रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत :–

ह0/

प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

प्रपत्र–39

परियोजना का नामः–

काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में दस गुना वृक्षों अथवा न्यूनतम 100 वृक्षों के रोपण हेतु प्राक्कलन मय रख–रखाव।

वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम :–.....क्षेत्रफल ..... हे0
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या .....

क्र. सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रू0 में)	योग
1	2	3	4	5
1.	सर्वे एवं सीमांकन			
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)			
3.	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग)			
4.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान			
5.	गड्डा खुदान (**0.30 x 0.30 x 0.45**)			
6.	निरीक्षण बटिया बनाना			
7.	पौधौं का मूल्य			
8.	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय			
9.	अन्य कार्य			
	योगः–प्रथम चरण			

द्वितीय चरण

1.	गड्डा भरान (**0.30 x 0.30 x 0.45**)			
2.	पौधों का मूल्य			
3.	पौध ढुलान कार्य			
4.	पौधरोपण व थालाबन्दी			
5.	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार)			
6.	खाद व दवा पर व्यय			
7.	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय			
8.	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0			
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना			
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			

9.	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य			
10.	अन्य कार्य			
	योग द्वितीय चरण			

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख–रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हें0 2.2 सुरक्षा दीवाल के वाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			
3.	अन्य कार्य			
	योग :–			

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख–रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	अन्य कार्य			
	योग :–			

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख–रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत :–

ह0/

प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

प्रपत्र–40

परियोजना का नामः–

पारेषण लाईन/रोपवे के कोरिडोर के नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु प्राक्कालन

वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम :–.....क्षेत्रफल ..... हे0
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या .....

क्र. सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रू0 में)	योग
1	2	3	4	5
1.	सर्वे एवं सीमांकन			
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)			
3.	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग)			
4.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान			
5.	गड्डा खुदान (**0.30 x 0.30 x 0.45**)			
6.	निरीक्षण बटिया बनाना			
7.	पौधौं का मूल्य			
8.	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय			
9.	अन्य कार्य			
	योगः–प्रथम चरण			

द्वितीय चरण

1.	गड्डा भरान (**0.30 x 0.30 x 0.45**)			
2.	पौधों का मूल्य			
3.	पौध ढुलान कार्य			
4.	पौधरोपण व थालाबन्दी			
5.	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार)			
6.	खाद व दवा पर व्यय			
7.	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय			
8.	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0			
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना			
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
9.	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी			

	आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य			
10.	अन्य कार्य			
	योग द्वितीय चरण			

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख–रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हें0 2.2 सुरक्षा दीवाल के वाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			
3.	अन्य कार्य			
	योग :–			

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख–रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	अन्य कार्य			
	योग :–			

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख–रखाव

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2.	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग			

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत :–

ह0/

प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

प्रपत्र–41

परियोजना का नामः–

मलवा निस्तारण योजना व मानचित्र

परियोजना से उत्पादित मलवें के वैज्ञानिक विधि से उचित निस्तारण की योजना मय मानचित्र व उपचार योजना के प्राक्कलन सहित संलग्न की जा रही है।

क्र0सं0	कार्य मद	संख्या	दर/इकाई	कुल धनराशि
1	घास एवं झाड़ी प्रजातियों का रोपण/बीज रोपण, गड्ढ़े खुदान, भरान व अन्य कार्य	... हे0 (प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारण योजना में चिन्हित स्थलों पर)		
2	वनस्पतिक चैकडैम का निर्माण			
3	केट वायर चैकडैम का निर्माण			
4	आर.आर. ड्राई का निर्माण			
5	दीवाल/अन्य अभियांत्रिक संरचनाओं का निर्माण			
6	उचित प्रजातियों का रोपण			
	योग–			

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट :–उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्मिलित रूप से तैयार की जायेगी। प्रकरण विशेष की स्थिति के अनुसार उक्त प्रपत्र में आवश्यक संशोधन भी किये जा सकते हैं।

प्रपत्र–42

परियोजना का नामः–

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी.....
2. हरियाली का घनत्व.....
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0.....
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि.....

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रपत्र–43

परियोजना का नामः–

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–44

परियोजना का नामः–

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र. स.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
			ल0	चौ0	ऊचाई				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खौदना								
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना								
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण								
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कय करना								
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य								
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना								
8	पानी की ढुलाई आदि								
	कुल योग								

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर निर्गत किया जायेगा। प्रकरण विशेष की परिस्थिति के अनुसार उक्त प्राक्कलन के प्रारूप में यथाआवश्यक संशोधन किये जा सकते हैं।

प्रपत्र–45

परियोजना का नामः–

लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि ..... वर्षो की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्गत किया जायेगा। उक्त प्रमाण–पत्र नई लीजों व कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–46

परियोजना का नामः–

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

प्रपत्र–47

परियोजना का नामः–

<u>प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के जलसमेट क्षेत्र के समेकित उपचार हेतु वन विभाग द्वारा तैयार की गई कैचमेनट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान के क्रियान्वयन हेतु कैट प्लान में उल्लिखित धनराशि का भुगतान वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार यथासमय किया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कैट प्लान प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर तैयार की जायेगी।

अध्याय–4

प्रपत्रों को भरने की विधि व ध्यान रखने योग्य बातें।

वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग व राजस्व विभाग के सहयोग से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया जाता है। यद्यपि नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले प्रपत्रों/सूचनाओं की सूची व प्रस्तावों में पायी जाने वाली सामान्य कमियों व अन्य ध्यान योग्य बातों की एक चैक लिस्ट तैयार कर समस्त प्रयोक्ता एजेन्सीज, जिलाधिकारी व प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रेषित की गई थी, परन्तु इसके उपरान्त भी देखा गया है कि प्रस्तावक विभागों द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने में अपेक्षित रूचि नहीं दर्शायी जा रही है व अपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किये जा रहे हैं। सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों का अपने स्तर से गहन परीक्षण नहीं किया जा रहा है। प्रस्तावों में इंगित कमियों के निस्तारण में अत्यधिक समय लगता है, जिससे परियोजना के निर्माण में विलम्ब के साथ–साथ परियोजना की लागत में भी वृद्धि होती है।

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने में लगने वाले समय को न्यून करने व पूर्ण/त्रुटिरहित प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों, प्रपत्रों को भरने की विधि व अन्य ध्यान रखने योग्य बातों का प्रत्येक प्रपत्र में विस्तृत विवरण निम्नानुसार दिया जा रहा है :–

4.1 प्रतिवेदन (प्रपत्र–1):– इस प्रपत्र में निम्न सूचनायें भरी जाती है –

i) इस प्रपत्र में परियोजना के निर्माण हेतु शासन द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न की जाती है।

ii) इस प्रपत्र में परियोजना के उद्देश्य, परियोजना से लाभान्वित होने वाले परिवार/जनसंख्या तथा परियोजना का वन भूमि पर निर्माण किये जाने के कारणों का उल्लेख किया जाता है।

iii) यदि कोई सड़क पूर्व में निर्मित हो व नई स्वीकृति के तहत उक्त सड़क का विस्तारीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित हो, तो भारत सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत स्वीकृति का उल्लेख व स्वीकृति की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

4.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना भरना (प्रपत्र–2 से प्रपत्र 2.4)

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उक्त पत्र निर्धारित किये गये हैं व इन प्रपत्रों में प्रस्ताव से सम्बन्धित सही सूचनाऐं अंकित किया जाना

नितान्त आवश्यक है। इन्हीं प्रपत्रों के आधार पर परियोजना विशेष में प्रस्तावित कार्यों व प्रस्ताव से सम्बन्धित अन्य सूचनाओं की जानकारी परिलक्षित होती है।

i) प्रपत्र संख्या–2 में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना से सम्बन्धित आवश्यक सूचनायें अंकित की जाती हैं।
ii) प्रपत्र संख्या–2.1 में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा आवश्यक सूचनायें अंकित की जाती हैं।
iii) प्रपत्र संख्या–2.2 में वन संरक्षक द्वारा आवश्यक सूचनायें अंकित कर संस्तुति की जाती हैं।
iv) प्रपत्र संख्या–2.3 को नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा भरा जाता है।
v) प्रपत्र संख्या–2.4 को वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा भरा जाता है।

4.2.1 उक्त प्रपत्रों में सूचना भरते समय ध्यान देने योग्य बातें :–

i) प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र–2 को सही ढ़ग से नहीं भरा जाता है व प्रपत्र में उल्लिखित विभिन्न बिन्दुओं पर स्पष्ट सूचना अंकित नहीं की जाती है। अपूर्ण प्रपत्रों पर भारत सरकार द्वारा आपत्ति व्यक्त की जाती है व भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः प्रपत्र–2 को प्रयोक्ता एजेन्सी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्वयं भरा जाय व समस्त सूचनाओं को अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।
ii) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रपत्र–2 के कई कालम को खाली छोड़ दिया जाता है। यदि कोई सूचना रिक्त हो उसके स्थान पर ''लागू न होना'' अंकित किया जाय।
iii) समस्त प्रपत्रों में प्रयोक्ता एजेन्सी, प्रभागीय वनाधिकारी व वन संरक्षक द्वारा अपना नाम, पदनाम, कार्यालय मुहर व प्रपत्र में निर्धारित स्थान व दिनांक आदि सूचनायें अनिवार्य रूप से अंकित की जायं।
iv) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भी कई बार प्रपत्र–2.1 में आवश्यक सूचनायें अंकित नहीं की जाती हैं व प्रपत्र के कतिपय कालमों को अधूरा छोड़ दिया जाता है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रपत्र 2.1 में आवश्यक समस्त सूचनायें अनिवार्य रूप से भरी जायं।
v) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कई बार प्रपत्र–2.1 में वन भूमि का हरियाली का घनत्व, वन भूमि की वैधानिक स्थिति, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, व अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें उक्त प्रपत्र में अंकित नहीं की जाती है। उपरोक्त समस्त सूचनायें प्रपत्र में अनिवार्य रूप से अंकित की जाये।

4.3 परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (प्रपत्र–3)

भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के ही निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अनेक विभागों द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ परियोजना हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वीकृति संलग्न नहीं की जाती है। भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों में स्वीकृति निर्गत करने पर विचार नहीं किया जाता है। अतः उक्त सूचना प्रत्येक प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जाय।

4.3.1 उक्त प्रपत्र के सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य बातें :–

i) सड़क निर्माण के प्रकरणों में शासन द्वारा निर्गत स्वीकृति व वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में उल्लिखित सड़क के नाम व लम्बाई व लागत में भिन्नता होती है।

ii) शासन द्वारा निर्गत स्वीकृति में उल्लिखित सड़क की लम्बाई व प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्तुत प्रस्ताव में भिन्नता के कारणों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रतिवेदन में स्पष्ट किया जाय।

iii) कई बार शासन द्वारा निर्गत एक ही स्वीकृति में अनेक सड़कों का उल्लेख किया जाता है। ऐसे प्रकरणों में जिस सड़क का प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा हो उसे स्वीकृति में हाईलाईट किया जाय।

iv) कई बार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु शासन द्वारा निर्गत स्वीकृति की अपठनीय प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाती हैं, जिसके फलस्वरूप प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाना सम्भव नहीं हो पाता है। स्वीकृति की स्वच्छ व प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

4.4 संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रपत्र–4)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण अभिलेख है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत संयुक्त निरीक्षण ही एक ऐसी कार्यवाही है, जिसे फील्ड में सम्बन्धित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से सम्पादित किया जाता है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली अधिकांश अन्य सूचनाओं को संयुक्त निरीक्षण के आधार पर कार्यालय में ही तैयार किया जाता है।

संयुक्त निरीक्षण का प्रारूप अति सरल है व इसमें रिक्त स्थानों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक सूचनाओं को अंकित किया जाता है। वन विभाग, राजस्व विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी व अन्य विभागों के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही में प्रतिभाग किया जाता है, उनका नाम/ पदनाम सम्बन्धित स्थान पर अवश्य अंकित किया जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त संयुक्त निरीक्षण के प्रपत्र पर जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, प्रस्तावक विभाग के सक्षम अधिकारी, उप–जिलाधिकारी, तहसीलदार, राजि अधिकारी व कार्यवाही के दौरान उपस्थित कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं।

4.4.1 संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु ध्यान योग्य बातें :–

i) संयुक्त निरीक्षण का प्रारूप अति सरल है व इसमें रिक्त स्थानों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक सूचनायें अंकित की जाती है। वन विभाग व प्रयोक्ता एजेन्सी की और से जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही में भाग लिया जाता है, उनका नाम/पदनाम निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

ii) संयुक्त निरीक्षण के प्रपत्र पर जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, प्रस्तावक विभाग के सक्षम अधिकारी, उप–जिलाधिकारी, तहसीलदार, राजि अधिकारी व कार्यवाही के दौरान उपस्थित अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर किये जायं।

iii) संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित करने में विलम्ब होता है, जिससे प्रस्ताव तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब होता है। अतः प्रयोक्ता एजेन्सी से संयुक्त निरीक्षण हेतु आवेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह की अवधि में प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित कर जिलाधिकारी, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार, प्रयोक्ता एजेन्सी, राजि अधिकारी को सूचित किया जाय। संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा भू–गर्भशास्त्री को संयुक्त निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

iv) प्रभावित होने वाली ग्राम सभाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही के दौरान सम्बन्धित ग्राम सभाओं को उपस्थित रहने हेतु सूचित किया जायेगा।

v) भू–वैज्ञानिक द्वारा संयुक्त निरीक्षण के साथ–साथ ही स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा व संयुक्त निरीक्षण की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत अपनी स्पष्ट रिपोर्ट उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

vi) कई बार संयुक्त निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकृत अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं व विभाग के कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों को संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही में भाग लेने हेतु भेजा जाता है। सक्षम अधिकारियों की अनुपस्थित के कारण परियोजना से सम्बन्धित अनेक महत्पूर्ण विषयों पर निर्णय नहीं हो पाता है, जिससे प्रस्ताव तैयार करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विभागो के नामित व भिज्ञ अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें।

vii) संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली विभिन्न श्रेणियों की वन भूमि यथा–आरक्षित, वन पंचायत, सिविल सोयम तथा नाप भूमि के क्षेत्रफल की सही सूचना व पातित किये जाने वाले पेड़ों की संख्या भी अंकित की जाय।

viii) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में निहित प्राविधानों के दिशा–निर्देशों के अनुसार केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही आरक्षित वन भूमि का प्रत्यावर्तन किये जाने की व्यवस्था है। अतः संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाय कि परियोजना के लिए केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही आरक्षित वन भूमि का चयन किया जाय।

ix) सड़कों, जल विद्युत परियोजनाओं, पारेषण लाईन व ऐसी समस्त परियोजनायें, जिनमें बड़ी मात्रा में वन भूमि का प्रत्यावर्तन निहित हो, ऐसे प्रकरणों में परियोजना के सर्वेक्षण/संरेखण निर्धारण के समय सम्बन्धित वन कर्मियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाय व उनके सुझाावों को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में समावेशित किया जाय।

4.5 स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (SIR) (प्रपत्र–5)

उक्त सूचना के प्रेषण हेतु भारत सरकार द्वारा एक प्रमाण–पत्र निर्धारित किया गया है, जिसमें सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आवश्यक सूचनायें अंकित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाती हैं।

4.5.1 प्रपत्र भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें –

i) कई बार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त प्रपत्र को सही ढ़ग से नहीं भरा जाता है व अधूरा प्रपत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाता है।

ii) सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रपत्र के प्रस्तर–a व b को सही ढ़ग से नहीं भरा जाता है अर्थात टिक मार्क/क्रास मार्क नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रस्ताव को भारत सरकार को प्रेषित किये जाने में विलम्ब होता है। दोनों सूचनाओं में से एक सूचना को अवश्य टिक मार्क किया जायं।

iii) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रपत्र में परियोजना का नाम, क्षेत्रफल, स्थान, निरीक्षण का दिनांक, प्रभागीय वनाधिकारी का नाम व उक्त प्रस्तर–2 में आवश्यक सूचनायें अनिवार्य रूप से भरी जाय।

iv) कई बार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त प्रपत्र में अपने हस्ताक्षतर/कार्यालय मुहर नहीं लगाई जाती है। उक्त प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा अपने हस्ताक्षर, व कार्यालय मुहर अनिवार्य रूप से अंकित की जाय।

4.6 1:50,000 पैमाने का टोपोशीट व डिजिटल मानचित्र (प्रपत्र–6 एवं 7)

उक्त सूचना वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ प्रेषित की जाने वाले एक अतिमहत्वपूर्ण सूचना है व इस सूचना के आधार पर वन भूमि पर प्रस्तावित परियोजना से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त होती है। प्रायः प्रयोक्ता एजेन्सीज के द्वारा मानचित्र में आवश्यक सूचनायें दर्शाये जाने में शिथिलता बरती जाती है। अतः पूर्ण/त्रुटिरहित प्रस्ताव को तैयार करने हेतु मानचित्रों में सही सूचना अंकित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

4.6.1 मानचित्र तैयार करते समय ध्यान योग्य बातें :–

i) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित 1:50,000 पैमाने के टोपोशीट मानचित्र पर परियोजना का संरेखण सही ढ़ंग से नहीं दर्शाया जाता है। प्रस्तावित संरेखण को लाल रंग से व अन्य वैकल्पिक संरेखण, जिन्हें निरस्त किया गया हो, अन्य रंगों से मानचित्र पर दर्शाया जाय।

ii) टोपोशीट में विभिन्न श्रेणियों की प्रभावित होने वाली वन भूमि को नहीं दर्शाया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजने में कठिनाई होती है।

iii) टोपोशीट में आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि एवं नाप भूमि को क्रमशः हरा, पीला, नीला व अन्य रंग से दर्शाया जाय।

iv) यदि किसी लिंक रोड़ का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हो, तो टोपोशीट में मुख्य सड़क व प्रस्तावित लिंक मार्ग के आरम्भिक व अन्तिम बिन्दुओं का नाम/किमी0 टोपोशीट व डिजीटल मैप पर दर्शाया जाय।

v) टोपोशीट पर सड़क निर्माण से लाभान्वित होने वाले विभिन्न ग्रामों को स्केच पेन से डाट लगाकर अंकित करते हुए गाँवों के नाम भी दर्शाये जायं।

vi) प्रस्तावित मार्ग के आरम्भिक व अन्तिम बिन्दुओं का आक्षांश व देशान्तर की सूचना भी मानचित्र पर अंकित की जाय।

vii) टोपोशीट मानचित्र/डिजिटल मैप के नीचे छोर पर प्रस्तावित संरेखण, वैकल्पिक संरेखण, मुख्य मार्ग, प्रभावित होने वाली विभिन्न श्रेणियों की वन भूमि व अन्य सुसंगत सूचनायें लीजेण्ड में विभिन्न रंगों से दर्शायी जाय। मानचित्र व डिजिटल मैप पर परियोजना का नाम भी अंकित किया जाय।

viii) भारत सरकार द्वारा मानचित्र पर पूर्व निर्मित विभिन्न मोटर मार्गो को दर्शाये जाने की अपेक्षा की जाती है, ताकि उक्त क्षेत्र में पूर्व निर्मित सड़कों व नई सड़कों के निर्माण का औचित्य स्पष्ट हो सके।

ix) केवल आरक्षित वन भूमि प्रभावित होने की स्थिति में मानचित्र पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी व प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी व अन्य श्रेणियों की भूमि प्रभावित होने की स्थिति में जिलाधिकारी, प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी व सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायं।

x) टोपोशीट व डिजिटल मैप में प्रस्तावित मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर अक्षांश व देशान्तर की सूचना अंकित की जाय।

xi) डिजिटल मैप की शैप फाईल की दो सी0डी0 भी प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

xii) यदि विद्यमान मार्ग का चौड़ीकरण/विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित हो, तो पूर्व निर्मित मोटर मार्ग को भी मानचित्र में दर्शाया जाय। यदि मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने से पूर्व हुआ हो, तो विद्यमान मोटर मार्ग का क्षेत्रफल भी प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाय।

4.7 वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उनके निरस्त किये जाने के कारणों का विवरण। (प्रपत्र–8 व 9)

उक्त प्रपत्र मुख्यतः सड़क निर्माण, पारेषण लाईन, सिंचाई परियोजनाओं व जल विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावों के साथ लगाये जाने के निर्देश हैं। प्रयोक्ता एजेन्सीज के द्वारा अनेक बार उक्त सूचना को प्रस्ताव के साथ प्रेषित नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार से परियोजना विशेष के लिये स्वीकृति प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। उक्त प्रयोजनों हेतु वैकल्पिक संरेखण निर्धारित करने व उनके निरस्त किये जाने के कारणों का उल्लेख करने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा भी विभाग के स्तर पर व्यवस्था निर्धारित की गई है, परन्तु प्रस्ताव तैयार करते समय इस बिन्दु पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः उक्त प्रयोजन हेतु प्रपत्र–8 व प्रपत्र–9 में आवश्यक सूचना अंकित की जानी व इसे टोपोशीट/डिजिटल मैप पर दर्शाया जाना नितान्त आवश्यक है।

4.7.1 प्रपत्र को भरते समय ध्यान देने योग्य बातें–

i) प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा चयनित किये गये वैकल्पिक संरेखणों को प्रस्ताव में संलग्न मानचित्र में अलग–अलग रंगों से नहीं दर्शाया जाता है। अतः मानचित्र में

चयनित वैकल्पिक संरेखणों को अनिवार्य रूप से अलग–अलग रंगों से दर्शाया जाय।

ii) प्रपत्र में आवश्यक सूचना भरकर विभिन्न वैकल्पिक संरेखणों का तुलनात्मक विवरण व उन्हें निरस्त किये जाने के कारणों को अनिवार्य रूप से प्रस्ताव में अंकित किया जाय।

iii) अनेक विभागों में अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारियों द्वारा संरेखण को अनुमोदित किया जाता है। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित संरेखण व निरस्त किये गये संरेखणों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जायं।

4.8 वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–10)

यह प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है व उक्त प्रमाण–पत्र के आधार पर भारत सरकार द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि की अपरिहार्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है। इस प्रपत्र के अभाव में परियोजना का वन भूमि पर निर्माण किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं हो पाता है। अतः जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जाने वाले उक्त प्रमाण–पत्र जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी व प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हों, प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय। प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.9 प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल (प्रपत्र–11 से 11.1)

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली विभिन्न श्रेणियों की वन भूमि/नाप भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख इस प्रपत्र में किया जाता है।

4.9.1 प्रपत्र को भरते समय ध्यान देने योग्य बातें–

i) यदि प्रस्ताव में केवल आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है, तो उक्त प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

ii) यदि प्रस्ताव में सिविल एवं सोयम, वन पंचायत भूमि तथा नाप भूमि प्रभावित हो रही है, तो प्रमाण–पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्गत/हस्ताक्षरित किया जायेगा।

iii) प्रपत्र का प्रारूप निर्धारित है व प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.10 परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई (प्रपत्र–12)

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ आवेदित वन भूमि की लम्बाई एवं चौड़ाई का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाता है। इस प्रपत्र में अंकित सूचना के आधार पर परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के क्षेत्रफल का आंकलन किया जाता है।

4.10.1 प्रपत्र भरते समय ध्यान देने योग्य बातें–

कई बार देखा गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न प्रपत्रों में अंकित क्षेत्रफल में भिन्नता होती है व विभिन्न प्रपत्रों में क्षेत्रफल की अलग–अलग सूचनाऐं अंकित की जाती हैं। इसके फलस्वरूप परियोजना के निर्माण हेतु वास्तविक क्षेत्रफल की गणना करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः इस प्रपत्र में अंकित सूचना व प्रस्ताव में विभिन्न प्रपत्रों में अंकित वन भूमि के क्षेत्रफल में एकरूपता होना आवश्यक है। प्रपत्र का प्रारूप निर्धारित है व प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.11 परियोजना का बारचार्ट (प्रपत्र–13)

इस प्रपत्र में आवेदित विभिन्न श्रेणियों की वन भूमि व नाप भूमि को विभिन्न रंगों से ग्राफशीट पर दर्शाया जाता है व यह सूचना मुख्यतः सड़क निर्माण, पेयजल, पारेषण लाईन, रोपवे, सिंचाई नहर एवं जल विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावों में लागू होती है। अनेक प्रस्तावों में यह देखा गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा बारचार्ट सही ढंग से नहीं भरा जाता है, जिससे प्रस्ताव के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

4.11.1 प्रपत्र भरते समय ध्यान देने योग्य बातें–

i) बारचार्ट तैयार करते समय विभिन्न श्रेणीयों की वन भूमि व नाप भूमि को अलग–अलग रंगों से ग्राफशीट पर दर्शाया जाय। आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से, सिविल सोयम भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से एवं नाप भूमि को किसी अन्य रंग से दर्शाया जाय।

ii) बारचार्ट में परियोजना के आरम्भिक बिन्दु पर पड़ने वाले गॉव व परियोजना के अन्तिम बिन्दु में पड़ने वाले गाँवों के नाम/किमी0 को स्पष्ट रूप से नाम सहित अंकित किया जाय।

iii) बारचार्ट की संकेत तालिका में समस्त सूचनायें स्पष्ट रूप से अंकित की जायं।

4.12 कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–14)

यह प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है व इस पर प्रभागीय वनाधिकारी व प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं। प्रपत्र का प्रारूप निर्धारित है व प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.13 प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण एवं मूल्याँकन (प्रपत्र–15 से प्रपत्र–15.6)

उक्त प्रपत्र में आवेदित भूमि पर खड़े वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार/भूमिवार विवरण व वृक्षों की मूल्य सूची संलग्न की जाती है। उक्त प्रपत्रों में वॉछित समस्त सूचनायें प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अंकित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराई जाती हैं।

4.13.1 प्रपत्र भरते समय ध्यान देने योग्य बातें–

i) परियोजना स्थल का चयन करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि परियोजना के निर्माण से कम से कम संख्या में वृक्षों का पातन निहित हो।

ii) सघन वन क्षेत्रों में यथासम्भव संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया जाय, जिससे पातन किये जाने वाले पेड़ों की संख्या को न्यून किया जा सके। अत्यधिक वृक्षों का पातन निहित होने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कई बार प्रकरण विशेष को निरस्त कर दिया जाता है।

iii) सघन वन क्षेत्रों में प्रस्तावित मोटर मार्गो के प्रकरणों में मार्ग की चौड़ाई को यथासम्भव 6–7 मीटर चौड़ाई में सीमित किया जाय, ताकि प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या व वन भूमि की मांग को न्यून किया जा सके।

iv) परियोजना के संरेखण में आने वाले कुल पेड़ों व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या का अलग–अलग विवरण प्रस्ताव में अंकित जाय। इस सूचना को प्रपत्र–15.6 में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

v) प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि एवं नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की अलग–अलग सूची निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय। प्रभावित होने वाले पेड़ों का सारांश भी प्रपत्र–15.5 में अंकित किया जाय।

4.14 बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–16)

विभिन्न बाँज प्रजातियों के मिश्रित वन पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है व इन वनों का संरक्षण/संबर्धन किया जाना आावश्यक है। अतः विकास परियोजनाओं के सर्वेक्षण/संरेखण तय करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि परियेाजना के निर्माण में कम से कम बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हों व केवल अपरिहार्य परिस्थितियों व अन्य विकल्पों के अभाव में ही परियोजना का निर्माण बाँज क्षेत्रों में प्रस्तावित किया जाय। परियोजना हेतु आवेदित वन भूमि पर बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की स्थिति में सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर प्रपत्र–16 में सूचना अंकित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

4.15 वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–17)

उक्त प्रपत्र को प्रभागीय वनाधिकारी व प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से भरकर हस्ताक्षर किये जाते हैं। प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.16 न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–17.1)

उक्त प्रपत्र को प्रभागीय वनाधिकारी व प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से भरकर हस्ताक्षर किये जाते हैं। प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.17 परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–18)

उक्त प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है। प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.18 परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–19)

यह प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है व इसमें परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी अंकित की जाती है। यदि परियोजना स्थल की दूरी संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 10 कि0मी0 की परिधि में आती है तो अध्याय–4 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.19 मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–20)

यह प्रपत्र मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा निर्गत किया जाता है। यदि परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से 10 किमी0 के अन्तर्गत, शिवालिक हाथी रिजर्व अथवा किसी वन्य जीव क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित हो, तो ऐसे प्रकरणों में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है। संरक्षित क्षेत्रों से तात्पर्य राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभ्यारण्य से क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का विस्तृत विवरण अध्याय–4 में उल्लिखित है।

4.20 प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–21)

उक्त प्रपत्र के साथ परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली ग्राम सभाओं द्वारा पारित प्रस्ताव को संलग्न किया जाता है। कतिपय प्रकरणों विशेषकर सड़क निर्माण के मामलों में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त भी सड़क के संरेखण व काटे जाने वाले पेड़ों पर स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की जाती है, जिससे सड़क निर्माण में अनावश्यक विवाद/विलम्ब उत्पन्न होता है। अतः परियोजना का संरेखण तय करते

समय लाभान्वित होने वाली ग्राम सभाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाय, ताकि परियोजना के निर्माण के समय उत्पन्न होने वाले विवादों से बचा जा सके। कई बार यह भी देखा गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा केवल ग्राम प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित अनापत्ति पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया जाता है, जिस पर भारत सरकार द्वारा आपत्ति व्यक्त की जाती है। समस्त ग्रामों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जायें।

4.21 भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर लागत–लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करने का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–22 से प्रपत्र–22.2)

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार किया जाता है। यह प्रपत्र उन परियोजनाओं के लिये लागू होता है, जिनमें 5.00 हे0 से अधिक वन भूमि का प्रत्यावर्तन निहित हो। उक्त प्रपत्र अतिमहत्वपूर्ण हैं व इन प्रपत्रों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रयोजन विशेष के आधार पर भरा जाना है। भारत सरकार द्वारा लागत–लाभ विशलेषण हेतु सामान्य प्रपत्र तैयार किये गये हैं, जिनके आधर ही प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा परियोजना विशेष हेतु प्रपत्र 22 से प्रपत्र 22.2 को भरा जाना है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट में दिये गये हैं।

4.21.1 प्रपत्र भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें –

i) भारत सरकार द्वारा निर्धारित इस प्रपत्र को प्रयोक्ता एजेन्सीज के द्वारा सही ढ़ंग से नही भरा जाता है व प्रपत्रों में अनेक सूचनायें अंकित नहीं की जाती हैं।

ii) इस प्रपत्र में परियोजना से सम्बन्धित सूचनाओं को मात्रात्मक एवं संख्यात्मक (Qualitative & Quantitative) विवरण सहित भरा जाय।

iii) परियोजना के निर्माण से सृजित होने वाले प्रत्यक्ष रोजगार के साधन, परियोजना के निर्माण से पशुधन पर पड़ने वाले कुप्रभाव, पुनर्वास, पर्यावरणीय कुप्रभावों का आंकलन, वनों एवं वन्य जीवों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव आदि सूचनाओं को सम्बन्धित प्रपत्र में अंकित किया जाय।

iv) परियोजना के निर्माण से प्राप्त होने वाले लाभ का भी विवरण सम्बन्धित प्रपत्रों में अंकित किया जायेगा।

4.22 वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–23 से प्रपत्र 23.3)

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश संख्या 11–9/98–एफ0सी0(पार्ट) दिनांक 05–02–2013 के द्वारा सड़क निर्माण/नहर/ओ.एफ.सी. केबिल/पाईप लाईन बिछाने व पारेषण लाईन निर्माण के प्रकरणो में ग्राम सभाओं का वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र/संस्तुति लिये जाने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है कि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं। भारत सरकार का उक्त पत्र परिशिष्ट में संलग्न है।

उक्त प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रयोजनों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरणों में प्रपत्र–23 से प्रपत्र 23.3 में आवश्यक सूचना अंकित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रपत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी/उप–जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर निर्गत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य किया गया है व इस प्रमाण–पत्र के अभाव में भारत सरकार द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित परियोजनाओं के निर्माण हेतु स्वीकृति निर्गत नहीं की जा रही है।

4.22.1 प्रपत्र भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें –

i) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत परियोजना के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि पर जिन ग्राम सभाओं को अधिकार प्राप्त हैं, उन ग्राम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

ii) ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि ग्राम सभा को वन भूमि पर प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है। (प्रपत्र–23 व 23.1)

iii) उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रपत्र–23.2 में आवश्यक सूचनायें भरकर ग्राम सभाओं द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित सूचना जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

iv) उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट में प्रभावित होने वाले गाँवों में अनुसूचित जनजाति व वनवासियों के बारे में भी आवश्यक सूचना निर्धारित प्रपत्र में अंकित की जायेगी।

v) जिलाधिकारी द्वारा उप खण्ड स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस आशय का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई दावा लम्बित नहीं है। (प्रपत्र 23.3) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र में प्रभावित गॉवों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति व वनवासियों तथा वन भूमि पर उनके परम्परागत अधिकारों के हनन होने अथवा न होने का भी स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

4.23 परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण (प्रपत्र–24)

उक्त सूचना वन भूमि पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावों में अंकित की जाती है। जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु विभिन्न घटकों के लिये विभिन्न श्रेणियों की वन भूमि/नाप भूमि की आवश्यकता का मदवार विवरण उक्त प्रपत्र में अंकित किया जायेगा। प्रपत्र का प्रारूप निर्धारित है व प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.24 वन भूमि पर भवन निर्माण के प्रकरणों में ले–आउट प्लान (प्रपत्र–25)

उक्त सूचना वन भूमि पर प्रस्तावित ऐसी परियोजनायें, जिनमें भवनों का निर्माण निहित हो, के प्रकरणों में अंकित की जाती है। उत्तराखण्ड में प्रायः स्कूल, अस्पताल, अनावासीय भवन, सामुदायिक भवन, सैनिक विश्राम भवन, पर्यटन विभाग के पर्यटन आवास गृह, खेल मैदान, बस अड्डा, गोदाम व अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इस प्रपत्र के साथ प्रस्तावित भवन का नक्शा, निर्मित किये जाने वाले कार्यो का विवरण, उनके परिमाप (Dimentions) आदि अंकित किये जाते हैं। भवन के नक्शे में उल्लिखित मदवार कार्यो/डाईमेन्शन के आधार पर प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के क्षेत्रफल का आंकलन किया जाता है।

4.24.1 प्रपत्र भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें –

i) प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा भवन निर्माण के प्रस्तावों में प्रायः भवन निर्माण का मानचित्र व निर्मित कार्यो का मदवार विवरण नहीं दिया जाता है। उक्त सूचना प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से अंकित की जाय।

ii) भवनों के अतिरिक्त अन्य मदों में वॉछित वन भूमि की माँग को भी भवन के नक्शे में दर्शाया जाय।

iii) यदि भवन तक पहुॅच मार्ग व स्कूल के प्रकरणों में खेलकूद मैदान हेतु भी वन भूमि की आवश्यकता हो, तो उसे भी प्रस्ताव के क्षेत्रफल में सम्मिलित किया जाय।

iv) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भवन निर्माण के प्रकरणों में वन भूमि की माँग को 1.00 हे0 तक सीमित रखे जाने के दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

v) भारत सरकार द्वारा वन भूमि पर आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है।

4.25 परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या (प्रपत्र–26)

उक्त सूचना वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ लगायी जाने वाली एक महत्वपूर्ण सूचना है। इस सूचना में भू–वैज्ञानिक द्वारा परियोजना हेतु भू–गर्भीय दृष्टि से महत्वपूर्ण अनेक सुझाव दिये जाते हैं जिनका प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होता है। राज्य में भू–वैज्ञानिकों की कमी के कारण अनेक परियोजनाओं के प्रस्तावों में उक्त सूचना विलम्ब से प्रेषित की जाती है जिसके फलस्वरूप प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजे जाने में विलम्ब होता है। भू–वैज्ञानिकों की कमी को देखते हुये भू–वैज्ञानिकों को आउटसोर्स किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा राज्य में विभिन्न संस्थानों में कार्यरत भू–वैज्ञानिकों का एक पैनल तैयार कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के निरूपण हेतु उनकी सेवायें भी समय–समय पर ली जा सकती हैं।

4.26 भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–27)

इस प्रपत्र को प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा भरकर हस्ताक्षर किये जाते हैं। प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.27 पर्वतीय क्षेत्रों में टास्क फोर्स की संस्तुतियॉ मान्य होने का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–28)

उक्त प्रपत्र का आलेख्य निर्धारित है व प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा आलेख्य पर हस्ताक्षर किये जाते हैं।

4.28 मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–29)

उक्त प्रपत्र का आलेख्य निर्धारित है व प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा आलेख्य पर हस्ताक्षर किये जाते हैं।

4.29 प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–30)

इस प्रपत्र को जिलाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से भरकर हस्ताक्षर किये जाते हैं। प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.30 वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–31)

इस प्रपत्र को प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा भरकर हस्ताक्षर किये जाते हैं। प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.31 परियोजना निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध काराये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–32)

वनों एवं वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वनस्पतियों/वृक्षों की सुरक्षा व वनों पर पड़ने वाले जैविक दबाव न्यून करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य के दौरान परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध करायी जाने की अनिवार्य शर्त भारत सरकार द्वारा लगाई जाती है। इस प्रमाण–पत्र पर प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं। प्रपत्र का प्रारूप निर्धारित है व प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.32 लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों का विववरण का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–33)

उक्त प्रपत्र को प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा भरकर हस्ताक्षर किये जाते हैं। प्रपत्र का प्रारूप निर्धारित है व प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.33 वन भूमि का मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–34)

उक्त प्रमाण–पत्र ऐसे प्रकरणों में लागू होता है, जिनमें वन भूमि लीज पर दी जानी प्रस्तावित हो। उक्त प्रपत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य व वार्षिक लीज रेन्ट का निर्धारण किया जाता है। प्रयोक्ता एजेन्सी से वन भूमि का मूल्य/लीज रेन्ट लिये जाने की शर्त राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित की जाती है व उक्त धनराशि को राज्य के राजस्व कोष में जमा कराया जाता है। विभिन्न विभागों/गैर सरकारी संस्थाओं से वन भूमि का मूल्य/लीज रेन्ट लिये जाने हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित है :–

i) राज्य सरकार के विभागों को वन भूमि निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है। इसके अतिरिक्त सीमा सड़क संगठन, जवाहर तथा राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय व वन भूमि पर पेयजल परियोजनाओं के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम व ग्रामीण स्वच्छता समितियों को भी वन भूमि निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

ii) भारत सरकार के विभागों को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य प्राप्त कर वन भूमि हस्तान्तरित की जाती है।

iii) भारत सरकार/राज्य सरकार के उपक्रमों, परिषदों व अन्य गैर सरकारी संस्थाओं से सुसंगत शासनादेशों के अनुसार वन भूमि का मूल्य व वार्षिक लीज रेन्ट लिया जाता है।

4.34 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र (प्रपत्र–35 व 36)

उक्त सूचना वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न की जाने वाली एक अतिमहत्वपूर्ण सूचना है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि की पर्यावरणीय क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु किया जाता है, ताकि सकल वन क्षेत्र में कमी न आये। भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने की शर्त वन भूमि पर प्रस्तावित 1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के समस्त प्रकरणों में लागू की जाती है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रत्यावर्तित वन भूमि के दुगने अवनत सिविल एवं सोयम भूमि पर वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर किया जाता है। भारत सरकार द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम भूमि को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करते समय वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित/म्यूटेशन किये जाने की अनिवार्य शर्त लगायी जाती है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अद्यावधिक आदेश संख्या 11–168/2009–एफ0सी

दिनांक 14–02–2012 के अनुसार वृक्षारोपण क्षेत्रों की सफलता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनका 07 से 10 वर्ष तक रख–रखाव करने के निर्देश दिये गये हैं।

नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रति हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी से लिये जाने वाली धनराशि की दर निर्धारित की जाती है, जिसमें वृक्षारोपण का 3 वर्षों तक रख–रखाव का प्राविधान भी सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में भू–सरक्षण, जल संधारण कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। भारत सरकार द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपणों को 07 से 10 वर्ष तक रख–रखाव किये जाने की शर्त लगाये जाने तथा निर्देशित अन्य कार्यो के सम्पादन हेतु के कारण नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई दर में अतिरिक्त कार्यों हेतु वांछित धनराशि को सम्मिलि करते हुए वृक्षारोपण प्राक्कलन में आवश्यक प्राविधान किया जाय व तद्नुसार ही प्रयोक्ता एजेन्सी से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि की माँग की जाय।

4.34.1 प्रपत्र भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें –

i) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु केवल सिविल एवं सोयम भूमि ही चिन्हित की जाय। यथा सम्भव उक्त भूमि के 5.00 हे0 अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल के प्लाट चिन्हित किये जायं।

ii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का नाम, क्षेत्रफल, रोपित की जाने वाली प्रजातियाँ, रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या, परियोजना का नाम आदि महत्वपूर्ण सूचनायें स्पष्ट रूप से प्राक्कलन में अंकित की जायं।

iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को 1:50,000 पैमाने की टोपोशीट में वृक्षारोपण स्थल के नाम सहित अंकित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।

iv) वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करने के लिये उचित वृक्षारोपण स्थल व प्रजातियों का चयन किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रपत्र–36 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।

4.35 रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन, जिसमें वृक्षारोपण का 07 से 10 वर्ष तक रख–रखाव का प्राविधान हो। (प्रपत्र–37)

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा परियोजना के निर्माण के उपरान्त रिक्त पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने की अनिवार्य शर्त लगाई जाती है। यह शर्त सड़क निर्माण, पारेषण लाईन, रोपवे आदि प्रकरणों को छोड़कर अन्य परियोजनाओं के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिरोपित की जाती है। उक्त प्रयोजन हेतु वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार के अद्यतन आदेश के अनुसार वृक्षारोपण क्षेत्र के 07 से 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु प्राक्कलन में आवश्यक प्राविधान किया जाय।

4.35.1 प्रपत्र भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें –

i) वृक्षारोपण करने हेतु प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

ii) वृक्षारोपण प्राक्कलन में वृक्षारोपण स्थल का नाम, रोपित की जाने वाली प्रजातियॉ व वृक्षारोपण क्षेत्र का भारत सरकार के आदेशों के अनुसार 07 से 10 वर्ष तक रख–रखाव किया जायेगा व इस हेतु प्राक्कलन में आवश्यक धनराशि का प्राविधान भी किया जायेगा।

iii) यदि पौधों की सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड अथवा दीवाल आदि का निर्माण किया जाना आवश्यक हो, तो उसका प्राक्कलन में आवश्यक प्राविधान किया जाय।

4.36 सड़क के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर पथ वृक्षारोपण (प्रपत्र–38)

भारत सरकार द्वारा सड़क निर्माण के प्रकरणों में सड़क निर्माण के उपरान्त सड़क के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण की शर्त अधिरोपित की जाती है। इस शर्त के अनुपालन हेतु वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर फलदार, छायादार व अन्य उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जाता है। उक्त प्रयोजन हेतु वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर किया जायेगा।

4.36.1 प्रपत्र भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें –

i) पथ वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

ii) वृक्षारोपण प्राक्कलन में रोपित की जाने वाली प्रजातियॉ व वृक्षारोपण का 07 से 10 वर्ष तक रख–रखाव हेतु वृक्षारोपण के प्राक्कलन में आवश्यक धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।

iii) यदि पौधों की सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड अथवा तारबाड़ की आवश्यकता हो, तो उसका प्राक्कलन में आवश्यक प्राविधान किया जायेगा।

iv) पथ वृक्षारोपण की सफलता/सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बड़ी ऊँचाई के पौधों का रोपण किया जायेगा। वन विभाग द्वारा यथासम्भव रोपित पौघों की सिंचाई की व्यवस्था भी की जायेगी।

4.37 काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्षों के रोपण अथवा न्यूनतम 100 वृक्षों का रोपण (प्रपत्र–39)

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वन भूमि पर प्रस्तावित 1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल की विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की शर्त नहीं लगाई जाती है। इसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्ष रोपित करने अथवा न्यूनतम 100 वृक्षारोपण की शर्त लगाई जाती है। इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन विभाग को देय

धनराशि का भुगतान किया जाता है, जिससे वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य सम्पादित कराया जाता है। इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा निर्धारित प्राक्कलन में आवश्यक सूचनायें भरकर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाती हैं। भारत सरकार के अद्यतन आदेश के अनुसार वृक्षारोपण क्षेत्र के 07 से 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु प्राक्कलन में आवश्यक प्राविधान किया जाय।

4.38 पारेषण लाईन/रोपवे के कोरिडोर के नीचे बौनी प्रजातियों का रोपण (प्रपत्र–40)

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पारेषण लाईन/रोपवे के नीचे कोरिडोर में रिक्त भूमि पर बौनी एवं औषधीय महत्व की प्रजातियों के रोपण की शर्त लगाई जाती है। उक्त प्रयोजन हेतु वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वृक्षारोपण किया जाता है।

4.38.1 प्रपत्र भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें –

i) बौनी एवं औषधीय प्रजातियों के रोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राक्कलन में आवश्यक सूचनायें भरकर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाती हैं। प्राक्कलन में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का विवरण भी अंकित किया जाय।

ii) पारेषण लाईन के नीचे रोपित की जाने वाली बौनी प्रजातियों के चयन में आवश्यक सावधानी बरती जाय। वृक्षारोपण का 07 से 10 वर्ष तक रख–रखाव हेतु प्राक्कलन में आवश्यक धनराशि का अतिरिक्त प्राविधान किया जाय।

iii) यदि पौधों की सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड अथवा तारबाड़ की आवश्यकता हो, तो उसका प्राक्कलन में आवश्यक प्राविधान किया जाय।

4.39 मक डिस्पोजल हेतु प्राक्कलन/प्रपत्र (प्रपत्र–41)

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के निर्माण से उत्सर्जित मलवे के उचित निस्तारण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ मक डिस्पोजल प्लान लगाये जाने की अनिवार्य शर्त अधिरोपित की जाती है। भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उत्सर्जित मलवे के उचित निस्तारण हेतु अधिरोपित शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मक निस्तारण योजना तैयार की जाती है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि सड़क निर्माण, जल विद्युत परियोजनाओं व अन्य वृहद निर्माण कार्यो के दौरान उत्सर्जित मलवे को सड़क से नीचे ढलान की ओर वन क्षेत्र/नदियों में निस्तारित किया जाता है, जिससे वनों को पर्यावरणीय क्षति होती है। अतः संवेदनशील क्षेत्रों, जल श्रोतों, नदियों व पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के निर्माण के दौरान मलवे का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किया जाना आवश्यक है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करते समय मक डिस्पोजल स्थलों को चिन्हित कर निर्धारित स्थलों पर ही मलवे का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किया जाय। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मक निस्तारण हेतु स्थलों को चिन्हित कर मानचित्र पर दर्शाया जायेगा।

4.39.1 प्रपत्र भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें –

i) चिन्हित मक निस्तारण स्थलों का जैविक एवं अभियांत्रिक कार्यो के माध्यम से उपचार करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एक योजना तैयार की जायेंगी, जिसमें उपचार हेतु प्रस्तावित जैविक/अभियांत्रिक समस्त कार्यो का उल्लेख किया जायेगा। उक्त योजना को वन विभाग व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्मिलित रूप से तैयार किया जायेगा व योजना का क्रियान्वयन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर किया जायेगा।

ii) प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मक निस्तारण योजना हेतु निर्धारित प्राक्कलन/मानचित्र को तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

4.40 एन0पी0वी0 (Net Present Value) की धनराशि का आंकलन (प्रपत्र–42)

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के एवज में एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की अनिवार्य शर्त अधिरोपित की जाती है। एन0पी0वी0 की धनराशि के आंकलन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 5–2–2009 के द्वारा विस्तृत आदेश निर्गत किये गये हैं। भारत सरकार के उक्त आदेश में कतिपय प्रयोजनों को एन0पी0वी0 की देयता से मुक्त रखा गया है। एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तदर्थ कैम्पा के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर किया जाता है, जिसे नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार भारत सरकार के स्तर पर गठित तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जाता है।

4.40.1 प्रपत्र भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें –

i) एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन कर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आवश्यक सूचना निर्धारित प्रपत्र में हरियाली के घनत्व व इको–क्लास सहित अंकित की जायेगी।

ii) राष्ट्रीय पार्क में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिये एन0पी0वी0 की सामान्य दर का दस गुना एन0पी0वी0 की धनराशि का निर्धारण किया जायेगा।

iii) वन्य जीव अभ्यारण्यों में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिये एन0पी0वी0 की सामान्य दर का पॉच गुना एन0पी0वी0 की धनराशि का निर्धारण किया जायेगा।

iv) राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं के लिये अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के लिये एन0पी0वी0 की सामान्य दर से धनराशि देय होगी।

4.40.2 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव विहारों के इतर वन भूमि पर प्रस्तावित जिन प्रयोजनों को कतिपय शर्तो के तहत एन0पी0वी0 की देयता से मुक्त रखा गया है, उनका विवरण निम्नानुसार है :–

i) 1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल के स्कूल, अस्पताल, 4 इंच व्यास तक भूमिगत पेयजल पाईप लाईन, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवन, बच्चों के प्रयोगार्थ गैर वाणिज्यक खेलकूद मैदान, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकी, ग्रामीण क्षेत्रों में 22 के0वी0 क्षमता की पारेषण लाईन, भूमिगत ओ0एफ0सी0 केबल बिछाने, राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव क्षेत्रों से अन्यत्र स्थानों पर गॉवों का पुनर्वास, वन क्षेत्रों से उप–खनिजों का चुगान (कतिपय शर्तो के तहत) आदि प्रयोजन।

4.41 प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन (प्रपत्र–44)

भारत सरकार द्वारा सड़कों, पारेषण लाईन, रोपवे, पेयजल, ओ0एफ0सी0 केबल बिछाने एवं सिंचाई की परियोजनाओं को छोड़कर अन्य प्रयोजनों हेतु हस्तान्तरित की गई वन भूमि का आर0सी0सी0 पीलरों द्वारा सीमांकन किये जाने की शर्त लगाई जाती है। भारत सरकार द्वारा यह शर्त सीमांकन की गई वन भूमि पर अतिक्रमण की सम्भावनाओं को न्यून करने की दृष्टि से लगाई जाती है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सीमांकन हेतु वॉछित धनराशि का प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाता है, व सीमांकन हेतु देय धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जाता है।

4.42 लीज अवधि का प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–45)

उक्त सूचना वन भूमि पर दी गई कालातीत लीजों के नवीनीकरण व नई लीजों की स्वीकृति के प्रस्तावों के साथ संलग्न की जाती है। राज्य सरकार/भारत सरकार के विभागों को वन भूमि हस्तान्तरित की जाती है व राज्य सरकार/भारत सरकार के उपक्रमों व अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को वन भूमि लीज पर दी जाती है। लीज पर दी जाने वाली वन भूमि के प्रस्तावों में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लीज अवधि का प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय। प्रपत्र का प्रारूप निर्धारित है व प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.43 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन (प्रपत्र–46)

उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाती है। प्रपत्र का प्रारूप निर्धारित है व प्रपत्र स्वतः स्पष्ट है।

4.44 जल विद्युत परियोजनाओं के लिये कैट प्लान (प्रपत्र–47)

जल विद्युत परियोजनाओं के जलसमेट क्षेत्र के समेकित उपचार हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर लागू किये जाने की व्यवस्था है। भारत सरकार द्वारा कैट प्लान क्रियान्वित किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति में शर्त अधिरोपित की जाती है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार जल विद्युत परियोजना का कैट प्लान तैयार किया जाता है व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार की गई कैट प्लान को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। अनुमोदित कैट प्लान को भारत सरकार को सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के साथ प्रेषित किया जाता है।

4.45 प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त की दो सी0डी0, पी0डी0एफ0 फारमेट में नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना (प्रपत्र–48)

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि वन भूमि पर प्रस्तावित परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव व अन्य सुसंगत सूचनाओं को भारत सरकार की वेबसाइट www.moef.nic.in पर अपलोड किया जाय व प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फारमेट में दो सी0डी0 तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की जायं। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव की उपलब्ध करायी गई उक्त सी0डी0 के आधार पर नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा व इस हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों को भरकर आवश्यक सूचना भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों के साथ अंकित की जायेगी।

राज्य में वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की संख्या व भारत सरकार के उक्त निर्देशों के दृष्टिगत नोडल अधिकारी कार्यालय को राज्य सरकार द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षित कर्मी व अन्य संयत्र उपलब्ध कराया जाना अति आवश्यक है।

अध्याय–5

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्धारित समय सीमा (Time Line)

A-राज्य सरकार के स्तर पर प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्धारित समय सीमा

वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने के लिये वन भूमि की वैधानिक स्थिति के आधार पर निम्न विभागों द्वारा अहम भूमिका निभाई जाती है :–

i) वन विभाग।
ii) राजस्व विभाग।
iii) प्रयोक्ता एजेन्सी।
iv) भू–गर्भशास्त्री।

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने का दायित्व प्रयोक्ता एजेन्सी का है। प्रयोक्ता एजेन्सी जिसके द्वारा वन भूमि पर विकास परियोजना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, उसके द्वारा सर्वप्रथम भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र–2 में परियोजना विशेष से सम्बन्धित सुसंगत समस्त सूचनायें अंकित कर आवेदन सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। यह देखा गया है कि प्रस्ताव तैयार करने में छोटी–छोटी त्रुटियों व अन्य सूचनाओं के अभाव में कई बार वन भूमि हस्तान्तरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने में अत्याधिक विलम्ब होता है। वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के त्वतिर क्रियान्वय हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को एक समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत तैयार किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु जो समय सारणी संलग्न की गई है, उसका अक्षरशः पालन किया जायं।

5.1 प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही :–

i) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त आवेदित वन भूमि के संयुक्त निरीक्षण की तिथि एक सप्ताह के अन्तर्गत निर्धारित कर सम्बन्धित विभागों यथा–राजस्व, प्रयोक्ता एजेन्सी व वन विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जायेगा।

5.1.1 संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही को गति देने के उद्देश्य से सम्बन्धित उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जायेंगा :–

i)	सम्बन्धित उप–जिलाधिकारी–	अध्यक्ष।
ii)	सम्बन्धित तहसीलदार–	सदस्य।
iii)	सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक	सदस्य।
iv)	वन क्षेत्राधिकारी–	सदस्य।
v)	भू–गर्भशास्त्री–	सदस्य।
vi)	प्रयोक्ता एजेन्सी का सहायक अभियन्ता/तहसील स्तरीय अधिकारी–	सदस्य सचिव।

5.1.2. समिति के दायित्व :–

i) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न कराना व संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही में समस्त सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना

ii) प्रस्तर 5.2 में वन भूमि हस्तान्तरण के साथ लगाये जाने वाले इंगित प्रपत्रों को तैयार करना।

iii) इंगित प्रपत्रों पर जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी/भू–गर्भशास्त्री से पूर्ण/हस्ताक्षर करवाकर संयुक्त निरीक्षण की तिथि के चार सप्ताह के अन्तर्गत नौ प्रतियों में प्रयोक्ता एजेन्सीज को उपलब्ध कराना।

5.2 समिति द्वारा निम्न प्रपत्र तैयार/पूर्ण करवाकर प्रयोक्ता एजेन्सी को चार सप्ताह के अन्तर्गत 9 प्रतियों में उपलब्ध कराये जायेंगे :–

- संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट **(प्रपत्र संख्या–4)**
- वैकल्पिक संरेखण **(प्रपत्र संख्या–8 व 9)**
- वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र **(प्रपत्र संख्या–10)**
- कार्य आरम्भ न करने का प्रमाण–पत्र **(प्रपत्र संख्या–14)**
- प्रभावित होने वाले पेड़ों की सूचना **(प्रपत्र संख्या–15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, व 15.6)**
- वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र। **(प्रपत्र–17)**
- न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र। **(प्रपत्र–17.1)**
- आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र **(प्रपत्र संख्या–21)**
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अपेक्षित सूचना **(प्रपत्र संख्या–23, 23.1, 23. 2 व 23.3)**
- भू–गर्भशास्त्री की आख्या **(प्रपत्र संख्या–26)**
- धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक स्थल का प्रपत्र **(प्रपत्र संख्या–30)**
- लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों का प्रमाण–पत्र। **(प्रपत्र–33)**
- वन भूमि का मूल्य/लीज रेन्ट (यदि लागू हो) **(प्रपत्र संख्या–34)**

समिति द्वारा नौ प्रतियों में उक्त प्रपत्रों/सूचनाओं को तैयार कर जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित करवाकर पूर्ण प्रपत्र/सूचनाऐं प्रयोक्ता एजेन्सी को निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराये जायेंगे। समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्रपत्र/सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उनकी एक प्रति सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने स्तर से निर्गत किये जाने वाले प्रपत्रों/सूचनाओं को तैयार करने की कार्यवाही आरम्भ की जा सके।

5.3 प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही :–

समिति से 9 प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र प्राप्त होने के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने स्तर से निम्न प्रपत्र दो सप्ताह के अन्तर्गत तैयार किये जायेंगे :–

- परियोजना का प्रतिवेदन। **(प्रपत्र–1)**
- परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति। **(प्रपत्र–3)**
- 1:50,000 पैमाने का टोपोशीट पर परियोजना के संरेखण को अंकित करना। **(प्रपत्र–6)**
- परियोजना का डिजिटल मैप मय शैप फाइल दो सी0डी0 सहित। **(प्रपत्र–7)**
- 1:50,000 पैमाने की टोपोशीट मानचित्र पर वैकल्पिक संरेखण दर्शाना व वैकल्पिक संरेखण को निरस्त किये जाने के कारण स्पष्ट करना। **(प्रपत्र–8 व प्रपत्र–9)**
- आवेदित भूमि का लैण्ड शिड्यूल। **(प्रपत्र संख्या–11 व 11.1)**
- परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई का विवरण। **(प्रपत्र–12)**
- बारचार्ट। (उदाहरण के आधार तैयार करना) **(प्रपत्र–13)**
- लागत लाभ विश्लेषण (5 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)। **(प्रपत्र–22, 22.1 व 22.2)**
- परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण (जल विद्युत परियोजनाओं के मामलों मे लागूं)। **(प्रपत्र–24)**
- परियोजना का ले–आउट प्लान (भवन निर्माण के प्रकरणों में लागू)। **(प्रपत्र–25)**
- भू–गर्भशास्त्री की आख्या। **(प्रपत्र–26)**
- भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र। **(प्रपत्र–27)**
- पर्वतीय क्षेत्रों में टास्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण–पत्र। **(प्रपत्र–28)**
- मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र। **(प्रपत्र–29)**
- वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र। **(प्रपत्र–31)**
- परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र। **(प्रपत्र–32)**
- मक निस्तारण योजना। (प्रयोक्ता एजेन्सी व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सम्मिलित रूप से तैयार की जायेगी)। **(प्रपत्र–41)**
- एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र। **(प्रपत्र–43)**
- लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो)। **(प्रपत्र–45)**
- कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र (जल विद्युत परियोजनाओं के प्रकरणों में)। **(प्रपत्र–47)**
- प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फारमैट में दो सी0डी0। **(प्रपत्र–48)**

नोटः– उक्त समस्त प्रपत्रों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जायेगा व जिन प्रपत्रों पर जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हों, उन प्रपत्रों पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित से हस्ताक्षर कराये जायेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रपत्रों में से अनेक प्रपत्र ऐसे हैं, जिन्हें प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही के साथ–साथ भरा जा सकता है।

5.4 प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही :–

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरान्त समिति के लिए निर्धारित प्रपत्रों की एक पूर्ण प्रति प्राप्त होने के उपरान्त निम्न प्रपत्र/सूचनाऐं तैयार कर दो सप्ताह के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी को 8 प्रतियों में उपलब्ध करायी जायेंगी।

- भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सूचनायें अंकित करना। **(प्रपत्र–2.1)**
- स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (SIR)। **(प्रपत्र–5)**
- वृक्ष प्रभावित न होने का प्रमाण–पत्र। **(प्रपत्र–17)**
- न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र। **(प्रपत्र–17.1)**
- परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र। **(प्रपत्र–18)**
- परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र। **(प्रपत्र–19)**
- क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना मय प्राक्कलन। **(प्रपत्र–35)**
- क्षतिपूरक वृक्षारोपण की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र। **(प्रपत्र–36)**
- परियोजना क्षेत्र में रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण की योजना। **(प्रपत्र–37)**
- पथ वृक्षारोपण की योजना। **(प्रपत्र–38)**
- काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना अथवा न्यूनतम 100 वृक्षों के रोपण की योजना। **(प्रपत्र–39)**
- बौनी प्रजातियों का वृक्षारोपण। (पारेषण लाईन/रोपवे के प्रकरणों में लागू)। **(प्रपत्र–40)**
- एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन। **(प्रपत्र–42)**
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमांकन। **(प्रपत्र–44)**
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन ना होने का प्रमाण–पत्र। **(प्रपत्र–46)**
- कैट प्लान तैयार करना। (जल विद्युत परियोजनाओं के लिये लागू) **(प्रपत्र–47)**

5.5 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करना :–

प्रभागीय वनाधिकारी तथा उप–जिलाधिकारी की समिति द्वारा समस्त प्रपत्र/सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा चैक लिस्ट के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। प्रत्येक प्रयोजन हेतु प्रस्ताव में लगाये जाने वाले प्रपत्रों/सूचनाओं का अध्याय–2 में विस्तृत चैक लिस्ट व अध्याय–3 व अध्याय–4 में क्रमशः

प्रपत्रों के प्रारूप व उनके भरे जाने की विधि/ध्यान रखने योग्य बातों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव को अन्तिम रूप देते समय प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त प्रपत्रों/सूचनाओं पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हों तथा प्रपत्र भरते समय कोई भी बिन्दु छूटा न हो अर्थात प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्ण एवं त्रुटिरहित प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्ण एवं त्रुटिरहित प्रस्ताव 8 प्रतियों में बांईड करवाकर 6 प्रतियॉ सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी व एक प्रति जिलाधिकारी को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा कि चैक लिस्ट में उल्लिखित समस्त प्रमाण–पत्र/सूचनाऐं तैयार कर क्रमवार विषय सूची के साथ प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी हैं।

नोट :– संरक्षित क्षेत्रों/वन्य जीव क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 7 प्रतियों में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

5.6 प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :–

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 6 प्रतियों में प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा चैक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव का पुनः परीक्षण किया जायेगा व पूर्ण/त्रुटिरहित प्रस्ताव सम्बन्धित वन संरक्षक को 5 प्रतियों में एक सप्ताह के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

5.7 वन संरक्षक स्तर से अपेक्षित कार्यवाही :–

प्रभागीय वनाधिकारी से 5 प्रतियों में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

5.7.1 वन संरक्षक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र–2. 2 में आवश्यक सूचना अंकित की जायेगी।

5.7.2 यदि परियोजना के निर्माण हेतु बांज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हों, तो ऐसी स्थिति में वन संरक्षक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी। **(प्रपत्र–16)**

5.7.3 प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल 40 हे0 से 100 हे0 तक होने की स्थिति में वन संरक्षक द्वारा परियोजना स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या प्रपत्र–5 में अंकित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

5.7.4 वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव का चैक लिस्ट के अनुसार परीक्षण कर दो सप्ताह के अन्तर्गत प्रस्ताव 4 प्रतियों में अपनी संस्तुति सहित नोडल अधिकारी कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

5.7.5 संरक्षित एवं वन्य जीव क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं के प्रस्ताव वन संरक्षक द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु 5 प्रतियों में प्रेषित किये जायेंगे।

5.8 मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से अपेक्षित कार्यवाही –

यदि परियोजना का निर्माण किसी संरक्षित क्षेत्र/वन्य जीव क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित हो, तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा वन संरक्षक से प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में अनापत्ति प्रमाण–पत्र/संस्तुति अंकित कर प्रस्ताव 4 प्रतियों में एक सप्ताह के अन्तर्गत नोडल अधिकारी कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

5.9 नोडल अधिकारी के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही –

5.9.1 वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण किया जायेगा व पूर्ण/त्रुटिरहित प्रस्ताव को शासन का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु दो सप्ताह के अन्तर्गत शासन को प्रेषित किया जायेगा।

5.9.2 यदि नोडल अधिकारी के परीक्षण के दौरान प्रस्ताव में कमियॉ पाई जाती हैं, तो प्रस्ताव को सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी को कमियों के निराकरण हेतु वापस किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी के सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को लिखा जायेगा।

5.9.3 प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रस्ताव को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

B- भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किये जाने के उपरान्त विभिन्न एजेन्सीज के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही :–

5.10 भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वन भूमि पर प्रस्तावित परियोजनाओं के निर्माण हेतु दो चरणों में स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जाती है, जिसमें भारत सरकार द्वारा कतिपय शर्तें अधिरोपित की जाती हैं। सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार द्वारा प्रकरण प्रयोजन विशेष के अनुसार सामान्यतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0, पथ वृक्षारोपण, रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण, अन्य मदों में धनराशियॉ जमा कराये जाने की शर्त तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित/म्यूटेशन कराये जाने सम्बन्धी मुख्य शर्तें लगाई जाती हैं।

भारत सरकार की स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुपालन हेतु नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत देय धनराशियों के भुगतान व अन्य शर्तो का अनुपालन करने हेतु डिमाण्ड नोट सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रेषित किया जायेगा।

5.11 भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण की स्वीकृति) प्राप्त होने के उपरान्त विभिन्न एजेन्सीज द्वारा अपेक्षित कार्यवाही :–

5.11.1 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नोडल अधिकारी से प्राप्त डिमाण्ड नोट में उल्लिखित समस्त धनराशियों का भुगतान करने हेतु Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 25229 (Payble at New Delhi) के नाम बैंक ड्राफ्ट तैयार कर तीन सप्ताह के अन्तर्गत नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5.11.2 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण करने हेतु डिमाण्ड नोट प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत जिलाधिकारी से अनुरोध/आवेदन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त दोनों कार्य एक साथ सम्पादित किये जायेंगे।

5.11.3 जिलाधिकारी द्वारा शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत सिविल एवं सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण की कार्यवाही दो सप्ताह में पूर्ण कर म्यूटेशन सम्बन्धी समस्त अभिलेख तीन प्रतियों में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे।

5.11.4 प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी व जिलाधिकारी से सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त सूचनायें/अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत समस्त सूचनाओं/अभिलेखों को नोडल अधिकारी कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

5.11.5 नोडल अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी से भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित करते हुए द्वितीय चरण की स्वीकृति अर्थात विधिवत स्वीकृति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया जायेगा।

5.12 वन विभाग के पक्ष में सिविल एवं सोयम भूमि हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के उपरान्त शासन स्तर पर कार्यवाही :–

जिलाधिकारी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित तथा उसका म्यूटेशन होने के उपरान्त उक्त सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत 6 माह के अन्तर्गत संरक्षित

वन घोषित किये जाने की भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा शर्त लगायी जाती है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

5.12.1 जिलाधिकारी से सिविल एवं सोयम भूमि के म्यूटेशन सम्बन्धी अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को प्राप्त सिविल एवं सोयम भूमि का सर्वेक्षण कर इसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित करने हेतु आवश्यक सूचनाओं सहित प्रस्ताव दो सप्ताह के अन्तर्गत जिलाधिकारी की संस्तुति सहित वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा व इसकी एक प्रति नोडल अधिकारी कार्यालय को भी प्रेषित की जायेगी।

5.12.2 जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी से उक्त सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वन विभाग के पक्ष में उक्त प्रयोजन हेतु हस्तान्तरित सिविल एवं सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत दो माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी व उक्त सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना की एक प्रति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित की जायेगी।

5.13 भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से विधिवत स्वीकृति (द्वितीय चरण की स्वीकृति) प्राप्त होने के उपरान्त विभिन्न एजेन्सीज द्वारा अपेक्षित कार्यवाही :–

5.13.1 भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त नोडल अधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन का औपचारिक शासनादेश निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया जायेगा।

5.13.2 नोडल अधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने के उपरान्त वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा एक सप्ताह के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन का औपचारिक आदेश निर्गत किया जायेगा।

5.13.3 प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि पर खड़े पेड़ों के छपान का कार्य शासनादेश निर्गत होने के दो सप्ताह के अन्तर्गत पूर्ण करवाकर छपान सूची वन विकास निगम के सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

5.13.4 उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा छपान सूची प्राप्त होने के छः सप्ताह के अन्तर्गत पेड़ों का पातन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

5.13.5 उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा पेड़ों का पातन किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का प्रयोक्ता एजेन्सी को एक सप्ताह के अन्तर्गत औपचारिक हस्तान्तरण किया जायेगा।

विभिन्न स्तरों पर प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्धारित समय–सीमा व भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित एजेन्सीज के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही का विस्तृत विवरण सारणी–13 में उल्लिखित है।

5.14 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने की प्रगति व इससे जुड़े अन्य कार्यों की समीक्षा।

वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की अपरिहार्यता एवं तात्कालिकता तथा प्रत्येक जनपद में विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु तैयार किये जाने वाले प्रस्तावों की संख्या को देखते हुये यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा तैयार किये जा रहे प्रस्तावों की जिलास्तर पर सत्त अनुश्रवण किया जायेगा। शासन द्वारा भी वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की समीक्षा हेतु पाक्षिक बैठकें आयोजित करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। उक्त सम्बन्ध में

5.14.1 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने व गतिमान प्रस्तावों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा :–

i)	जिलाधिकारी–	अध्यक्ष।
ii)	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी–	सदस्य।
iii)	सम्बन्धित उप–जिलाधिकारी–	सदस्य।
iv)	भू–वैज्ञानिक–	सदस्य।
v)	प्रयोक्ता एजेन्सी का सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी–	सदस्य सचिव।

5.14.2 उच्च स्तरीय समिति के दायित्व :–

i) जिन विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किये जाने प्रस्तावित हैं, उनकी विभागवार सूची तैयार करवाकर सूची में उल्लिखित प्रकरणों का वरीयता क्रम में प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित करना।

ii) संयुक्त निरीक्षण व इससे सम्बन्धित सूचनायें तैयार करने हेतु उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को संदर्भित प्रस्तावों की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा करना।

iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल एवं सोयम भूमि के म्यूटेशन की प्रगति की समीक्षा करना व म्यूटेशन हेतु लम्बित प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करवाकर म्यूटेशन सम्बन्धी अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराना।

iv) सैद्धान्तिक स्वीकृति के प्रकरणों की समीक्षा कर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रस्तावक विभागों को निर्देशित करना।

v) समस्त लम्बित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों की समीक्षा कर लम्बित सूचनाओं को नोडल अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित करना।

———————

अध्याय–6

संरक्षित क्षेत्रों के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं हेतु निर्धारित प्रक्रिया :–

6.1 उत्तराखण्ड में छः राष्ट्रीय उद्यान, सात वन्य जीव विहार व तीन संरक्षण आरक्षिति हैं, जो बाघ, गुलदार, हाथी, भालू, चीतल, साभर व अनेक दुलर्भ पक्षियों की प्रजातियों के वासस्थल हैं। वन्य जीव विहारों में अनेक गाँव अवस्थित हैं व इन गाँवों में अवस्थापना सुविधाओं का अभाव होने के कारण ग्रामवासियों द्वारा सड़कों, पेयजल योजनाओं आदि के निर्माण की निरन्तर माँग की जा रही है। संरक्षित क्षेत्रों के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिये अपनायी जाने वाली प्रकिया की समुचित जानकारी के अभाव में प्रयोक्ता एजेन्सीज को प्रस्ताव तैयार करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संरक्षित क्षेत्रों के महत्व को देखते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय व भारत सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में गैर वानिकी गतिविधियों को नियन्त्रित करने के उददेश्य से समय–समय पर अनेक महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

6.2 रिट याचिका संख्या 202/95–टी0एन0 गोडावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–2–2000 व आदेश दिनांक 13–11–2000 द्वारा राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभ्यारण्यों में गैर वानिकी गतिविधियों को प्रतिबन्धित किया गया है। संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभ्यारण्यों) के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ–साथ इन क्षेत्रों में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड व भारतीय वन्य जीव परिषद की सहमति/संस्तुति भी प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

6.3 भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 19–8–2010 के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभ्यारण्यों की सीमा के 10 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित परियोजनायें, जिनके निर्माण हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना, 2006 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है, ऐसे प्रकरणों में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ई0आई0ए0 रिपोर्ट भारतीय वन्य जीव परिषद् की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थायी समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही पर्यावरण एव ंवन मंत्रालय के द्वारा ऐसी परियोजनाओं हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति निर्गत की जायेगी। उल्लेखनीय है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारतीय वन्य जीव परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने वाले समस्त प्रस्तावों पर राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

6.4 संरक्षित क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति व वन्य जीव सम्बन्धित अन्य स्वीकृतियाँ प्राप्त होने के उपरान्त ही भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वन संरक्षण विंग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत परियोजना विशेष में स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किया जाता है।

6.5 संरक्षित क्षेत्रों में मा0 उच्चतम न्यायालय, भारतीय वन्य जीव परिषद व राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की स्वीकृति/सहमति प्राप्त करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है :–

6.5.1 प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र रूप से मा0 उच्चतम न्यायालय में आई0ए0 दायर किया जाता है। इसके साथ–साथ प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक सूचनायें अंकित कर राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड व भारतीय वन्य जीव परिषद, नई दिल्ली की सहमति प्राप्त करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही की जाती है।

6.5.2 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र–1 व 2 में आवश्यक सूचनायें अंकित कर आवेदन सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र के प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक को प्रस्तुत किया जायेगा।

6.5.3 प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक द्वारा अपने लिये निर्धारित प्रपत्र–3 में आवश्यक सूचनायें अंकित कर प्रस्ताव संस्तुति सहित मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को पेषित किया जायेगा।

6.5.4 मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा निर्धारित प्रपत्र–4 में आवश्यक सूचनायें अंकित कर अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

6.5.5 वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

6.5.6 राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रस्ताव को भारतीय वन्य जीव परिषद, नई दिल्ली की संस्तुति/सहमति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुरोध किया जायेगा।

6.5.7 मा0 उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति तथा भारतीय वन्य जीव परिषद नई दिल्ली की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र संख्या–I, II, III, IV व V संलग्न हैं।

FORMS

(All documents to be submitted in triplicate and signed in Blue ink)

PART - I

Proposal for Investigation and Survey in the National Park / Sanctuary

(Details to be provided by the Applicant)

1. **Name of the Organization**
2. **Aims and Objectives of the Proposed Project**
3. **Location and Map (1:150000 scale) of the area duly authenticated by the competent authority to be investigated/ surveyed**
4. **Whether investigation/survey requires clearing of vegetation**
5. **If yes, please specify the extent (in Ha.)**
6. **Opinion of the Officer In Charge of the N.P./ WLS (Attach signed copy)**
7. **Opinion of the Chief Wild Life Warden (Attach signed copy). The following be included in the opinion:**

    i) **Brief history of the Protected Area**
    ii) **Current status of Wildlife**
    iii) **Current status of pressures on protected Areas.**
    iv) **Projected impacts of projects on wildlife, habitat management and access/ use of resource by various stakeholders.**
    v) **Contiguous wildlife areas which would benefit wildlife if added to National park/Sanctuary.**
    vi) **Other areas in the State which have been recommended by State Government, Wildlife Institute of India, BNHS, SACON, IISC, IUCN or other expert body for inclusion in Protected Area network.**

Signed	Signed	Signed
Project Head **Name** **Organization**	**The Officer In Charge of the N.P./ WLS** **Office Seal**	**The CWLW** **Office Seal**

Date of submission to Govt. of India by the CWLW --

PART –II
(To be filled in by the Applicant)

1 Project details:

(i) Copy of the Investigation and Survey report.

(The report should include the dates of survey and the names of the investigators, surveyors and all officials of the concerned NP/ WLS who remained present during the period.)

(ii) Self contained and factual project report for which NP/WLS area is required

(Enclose copy of the Project Appraisal document)

(iii) Map (Duly authenticated by the Divisional / District Head of the Department dealing with Forests and Wild Life) on a scale of 1: 150000 showing the boundaries of the NP/WLS, delineating the area in question in red color).

(iv) Self contained and factual report of at least two alternatives considered by the project authorities along with technical and financial justification for opting national park/ sanctuary area.

(v) Copy of the Bio diversity Impact Assessment report in case the proposal involves diversion of more than 50 ha. NP/WLS area.

2 Location of the project/Scheme

(i) State/Union Territory

(ii) District

(iii) Name of the National Park/ Sanctuary

3 Details of the area required (in Hectares only)

(Provide break up of the land use under the project e.g., construction of dam, submergence, housing for staff, road etc)

Details of displacement of people, if any, due to the project

(i) Total number of families involved in displacement

(ii) Number of Scheduled Caste/Schedule Tribe families involved in displacement

(iii) Detailed rehabilitation plan

Any other information relevant to the proposal but not covered in any of the columns above.

Signed by
Project Head
Name
Organization

Date of submission to the Head of the National Park / Sanctuary

PART –III

(To be completed by the Officer –in- Charge of the National Park/ Sanctuary completed and submitted to the Chief Wild Life Warden or officer authorized by him in this behalf within 30 days of the receipt of PART - II)

1 Date of receipt of the PART – II

2 Total Area (Ha.) of National Park/Sanctuary

3 Total area (Ha.) diverted from the NP/WLS so far for development purposes

4 List the past projects and the area (Ha.) diverted

Name of Project	Area diverted	Year of diversion

5 Positive impact/s due to the diversion of area for the projects referred to in column 4 above

Name of the Project /s	Positive impact	Scientific Basis of Assessment

(Attach separate document, if required)

6 Negative impact/s due to the diversion of area for the projects referred to in column 4 above

Name of the Project /s	Negative impact	Scientific Basis of Assessment

(attach separate document, if required)

7 Management Plan Period

Attach copy of the Management Plan/Management Scheme/ Recommendation of Chief Wildlife Warden

8 List Management actions taken/ proposed to be taken in the whole Block/ Zone in which the proposed area is located.

9 Type of forest in which the proposed area falls.

10 Location of the proposed area w.r.t. the critical/intensive wildlife management areas/ wildlife habitats. (attach Map to scale)

11 List the likely POSITIVE AND NEGATIVE impact/s of the proposed project giving scientific and technical justification for each impact.

12 Provide COMPREHENSIVE details of the impact of the proposal in terms of Sections 29 and/or section 35 (6) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 as the case may be.

13 Whether the project authorities have ever committed violation of the Wild Life (Protection) Act, 1972 or Forest Conservation Act, 1980. If yes, provide the EXHAUSTIVE details of the offence and the present status of the case.

(Concealing or misrepresenting the facts will lead to rejection of the case in addition to any other penalty as prescribed under Law)

14 Have you examined the Project Appraisal document and the alternatives as provided in PART – II.

15. Have you examined the Bio diversity Impact Assessment Report.

16 If Yes, please give your comments on the recommendations given in the report

17 Dates and duration of your field visits to the proposed site

18 Do you agree that the present proposal of diversion of NP/WLS area is the best or only option and is viable.

19 Any other information that you would bring to the notice of the State Board, National Board or its Committee that may be relevant and assist in decision making

20 Do you recommend the project.

(Please provide full justification to support your recommendations)

Signed by

The Officer In Charge of the N.P./ WLS
Official Seal

Date of submission to the Chief Wild Life Warden or any other officer authorized by him in this regard

PART -IV

(To be completed by the Chief Wild Life Warden within 15 days of the receipt of PART – II and III)

1. **Date of RECEIPT of PART II and III by the Chief Wild Life Warden or the officer authorized by him in this regard**

2. **Do you agree with the information and recommendations provided by the Officer – in – Charge in PART – III**

3. **If not, please provide the reasons**

4. **Have you visited the site yourself and held discussions with the applicant.**

5. **Do you agree that the present proposal for permitting use of NP/WLS area is the best option or only option and is viable.**

6. **Please provide specific comments w.r.t. Section 29 of the Wild Life (Protection) Act, 1972**

7. **Any other information that you would bring to the notice of the State Board, National Board or its Committee that may be relevant and assist in decision making**

8. **Do you recommend the project?**

   (Please provide full justification to support your recommendations)

9. **Conditions, if any, to be ensured in the interest of wildlife for allowing use of the area.**

Signed by

The Chief Wild Life Warden
Name
State
Official Seal

Date of submission to the State Government

PART -V

(To be completed by the Department in Charge of Forestry and Wild Life in consultation with the State Board for Wild Life within 30 days of the receipt of PART – II, III and IV)

1. ***Date of RECEIPT of PART II, III and IV by the Department***

2. ***Do you agree with the recommendation/s of the Chief Wild Life Warden***

3. ***If not, please provide the reasons.***

4. ***Did you provide PART II, III, and IV to the members of the State Board for Wild Life***

5. ***Attach copy of the opinion of the State Board for Wild Life***

6. ***Give details of the recommendations of the State Government***

Signed by

The Principal Secretary
Name
State
Official Seal

Date of submission to the Central Government

अध्याय–7

वन भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया को गति देने तथा विभिन्न विभागों के स्तर पर प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को न्यून करने हेतु सुझाव।

विगत अध्यायों में वन भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया, प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/सूचनायें, विभिन्न प्रपत्रों के प्रारूप व प्रस्ताव तैयार करने हेतु समय–सीमा का विस्तार से उल्लेख किया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया को गति दिये जाने के उद्देश्य से कतिपय सुझाव निम्नानुसार दिये जा रहे हैं :–

7.1 शासन द्वारा स्वीकृत व वन भूमि पर कियान्वित की जाने वाली विकास परियोजनाओं का विस्तृत डाटाबेस जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं रहता है, जिसके फलस्वरूप लम्बित विकास परियोजनाओं, जिनके वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किये जाने अपेक्षित हैं, उनकी विभागवार जानकारी प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त कर जिलास्तर पर एक विस्तृत डाटाबेस तैयार किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा उक्त डाटाबेस के आधार पर लम्बित परियोजनाओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों की पाक्षिक बैठकें आयोजित कर गहन समीक्षा की जाय।

7.2 संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न होने व इससे जुड़े प्रपत्र/सूचनायें तैयार करने में अत्यधिक समय लगता है। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही को गति प्रदान करने व एक ही स्तर से प्रयोक्ता एजेन्सीज को संयुक्त निरीक्षण से सम्बन्धित सूचनायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित किये जाने का सुझाव दिया गया है। उक्त समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु संदर्भित प्रकरणों में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

7.3 वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के प्रस्ताव तैयार करने में होने वाले विलम्ब का एक मुख्य कारण विभिन्न विभागों में परस्पर सामंजस्य का अभाव है। जिले में गतिमान समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों, म्यूटेशन की कार्यवाही, भारत सरकार/नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा वॉछित सूचनाओं की प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित किये जाने का सुझाव दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की समीक्षा हेतु पाक्षिक बैठकें नियमित रूप से आहूत की जायं।

7.4 प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रत्येक राजि में संयुक्त निरीक्षण हेतु सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जाय व यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्धारित तिथि को संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

7.5 यह देखा गया है कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान कई बार सम्बन्धित विभागों के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पाती है। अतः उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही से जुड़े सम्बन्धित विभागों के नामित अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्य रूप से संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही के दौरान परियोजना स्थल पर उपस्थित रहें। संयुक्त निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाय।

7.6 जनपदों में भू–वैज्ञानिकों की कमी को देखते हुए प्रत्येक जनपद में भू–वैज्ञानिकों की तैनाती की जाय व यदि आवश्यक हो, तो आउटसोर्सिंग के आधार पर जिलों में भू–वैज्ञानिक उपलब्ध कराये जायं। इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार वाडिया हिमालयन संस्थान, जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गढ़वाल/कुमाऊँ विश्वविद्यालय व राज्य के अन्य संस्थाओं में कार्यरत भू–वैज्ञानिकों का एक पैनल तैयार किया जा सकता है।

7.7 वन भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया में विलम्ब के मुख्य कारणों में से अपूर्ण एवं त्रुटिरहित प्रस्ताव तैयार करना है। प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि मार्गदर्शिका में उल्लिखित चैक लिस्ट के आधार पर प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त प्रपत्रों/सूचनाओं को अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय। यह तभी सम्भव है, जब प्रस्तावक विभाग के जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव का स्वयं परीक्षण किया जाय। प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही को कदापि कनिष्ठ कर्मचारियों पर न छोड़ा जाय। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भी प्रयोक्ता एजेन्सी से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव का गहन परीक्षण किया जाय व केवल पूर्ण एवं त्रुटिरहित प्रस्ताव ही नोडल अधिकारी कार्यालय को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किये जायं।

7.8 भारत सरकार द्वारा कई प्रकरणों में अतिरिक्त सूचनायें मॉगी जाती हैं, जिन्हें भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार दो माह के अन्तर्गत भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। उक्त सूचना प्राप्त न होने के 90 दिन की अवधि के उपरान्त भारत सरकार द्वारा नियम–4.14 के तहत प्रस्ताव को बन्द/निरस्त कर दिया जाता है। अतः भारत सरकार द्वारा वॉछित सूचनायें तत्परता के आधार पर भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावक विभाग के स्तर पर विशेष प्रयास किये जायं।

7.9 भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त कतिपय विभागों द्वारा लम्बी अवधि तक भारत सरकार की स्वीकृति में उल्लिखित धनराशियों यथा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण व अन्य देयकों का समय से वन विभाग को भुगतान नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रस्ताव लम्बे समय तक अनिस्तारित रहते हैं। अतः वन भूमि पर प्रस्तावित केवल उन्हीं परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार किये जायं, जिनके निर्माण हेतु सम्बन्धित विभाग के पास पर्याप्त बजट/संसाधन उपलब्ध हों।

7.10 सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के अनुपालन हेतु देय धनराशियों के त्वरित भुगतान हेतु लोक निर्माण विभाग, यू0आर0आर0डी0ए0, पिटकुल आदि मुख्य विभागों के विभागाध्यक्षों के स्तर पर एक रिवालविंग फण्ड सृजित किया जाय व भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त फण्ड से देय धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था की जाय।

7.11 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम भूमि के म्यूटेशन की कार्यवाही में समय लगने के कारण अनेक प्रकरणों में भारत सरकार की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है। भारत सरकार द्वारा जिन प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है व म्यूटेशन की कार्यवाही अपेक्षित है, उन प्रकरणों में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर दो सप्ताह के अन्तर्गत म्यूटेशन की कार्यवाही पूर्ण कर अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराये जायं, ताकि भारत सरकार से तत्काल विधिवत स्वीकृति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया जा सके।

7.12 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु विभिन्न प्रस्तावक विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाय व मुख्य विभागों यथा– लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क अभिकरण, पिटकुल, पेयजल, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रशिक्षित अधिकारियों/ कर्मचारियों को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु अपने कार्यालयों में रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्यरत किया जाय। प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों को कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रस्ताव तैयार करने हेतु तैनात किया जाय।

7.13 वन विभाग द्वारा अपने सामान्य दायित्वों के अतिरिक्त समस्त विभागों द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने में अहम योगदान दिया जाता है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करना एक समयसाध्य कार्य है, जिसके लिये पृथक से वन विभाग को अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों को तैयार करने हेतु विभाग को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त फील्ड/कार्यालय कर्मचारी उपलब्ध कराये जायं।

7.14 वर्तमान में क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने में योगदान दिया जाता है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की अधिकता व तात्कालिता को देखते हुये जिन जनपदों में वन विभगा के भूमि संरक्षण वन प्रभाग कार्यरत हैं, उन जनपदों में प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक द्वारा सम्बन्धित भूमि संरक्षण वन प्रभागों में तैनात प्रभागीय वनाधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

7.15 भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ डिजिटल मैप लगाये जाने की अनिवार्य शर्त लगाई जाती है। वर्तमान में वन विभाग के मुख्यालय स्तर पर कार्यरत आई0टी0 सैल द्वारा डिजिटल मैप तैयार कर विभिन्न प्रयोक्ता एजेन्सीज को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वन विभाग के सीमित संसाधनों व प्रस्तावों की अत्यधिक संख्या को देखते हुये यह आवश्यक है कि लोक निर्माण विभाग व उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क अभिकरण द्वारा डिजिटल मैप तैयार करने हेतु प्रत्येक जनपद में आवश्यक सुविधायें सृजित की जायं। उक्त विभागों द्वारा जिलास्तर पर वॉछित सुविधायें सृजित किये जाने के उपरान्त जिले के अन्य विभागों को भी वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले डिजिटल मैप उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

7.16 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वन विभाग/वन विकास निगम द्वारा पेड़ों के छपान/पातन की कार्यवाही की जाती है। कतिपय प्रकरणों में पेड़ों के छपान व पातन की कार्यवाही में विलम्ब होने के कारण परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को समय पर उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पातन है। अतः वन विभाग द्वारा पेड़ों का छपान व वन निगम द्वारा पेड़ों के पातन की कार्यवाही निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाय।

7.17 मुख्य विभागों यथा–लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पेयजल परियोजनाओं व ऊर्जा विभाग की पारेषण लाईन/जल विद्युत परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की समीक्षा हेतु शासन स्तर पर जिलाधिकारियों/ प्रस्तावक विभागों/वन विभाग के साथ माह में एक बार वीडियो कान्फ्रेन्स की जाय।

अध्याय–8

विविध महत्वपूर्ण बिन्दु

8.1 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण :–

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वन भूमि पर प्रस्तावित 1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल की परियोजनाओं के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि के एवज में दुगना अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाता है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण समतुल्य गैर वन भूमि पर किये जाने का प्राविधान है व राज्य में गैर वन भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में वृक्षारोपण दुगने अवनत वन भूमि पर किया जाता है। भारत सरकार द्वारा गैर वन भूमि की अनुपलब्धता तभी स्वीकार की जाती है, जब राज्य के मुख्य सचिव द्वारा भारत सरकार को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जाता है कि राज्य में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या ।।/1058/एन.पी.वी./एफ.सी./1718 दिनांक 22–02–2005 के द्वारा यह आदेश निर्गत किये गये हैं कि वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के मामलों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल एवं सोयम भूमि पर किया जायेगा व चिन्हित सिविल एवं सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित करते हुये भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत छः माह के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। भारत सरकार भारत सरकार द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित उक्त शर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करते समय अधिरोपित की जाती है व इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त ही भारत सरकार द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाती है।

राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 दिनांक 11–11–2011 व शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29–02–2012 के द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 20 हजार हे0 सिलिव एवं सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की आदेश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 दिनांक 17–12–2012 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिलें के भीतर जिलाधिकारियों को एवं अंतरजनपदीय मामलों में सम्बन्धित मण्डायुक्तों को प्रतिनिधायित किया गया है।

शासनादेश दिनांक 17–12–2012 के द्वारा सिविल सोयम भूमि का वन विभाग को हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है व अब अधिकांश मामलों में जनपद के अन्तर्गत चिन्हित सिविल एवं सोयम भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने हेतु जिलाधिकारी ही अधिकृत है। इस प्रक्रिया के लागू होने से निश्चित रूप से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के त्वरित निस्तारण में सहायता मिलेगी।

————————